एपीडा
APEDA

# वार्षिक रिपोर्ट
# 2019-2020

एपीडा
APEDA

**कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद**
**निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)**
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

# वार्षिक रिपोर्ट 2019-20

एपीडा
APEDA

**कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)**
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

एपीडा
APEDA

# विषय सूची

1. एपीडा के बारे में ..... 5
- 1.1 एपीडा संगठनात्मक संरचना ..... 6
- 1.2 निर्दिष्ट कार्य ..... 7
- 1.3 एपीडा द्वारा मॉनिटर किए गए उत्पाद ..... 8
- 1.4 एपीडा प्राधिकरण की संरचना ..... 9
- 1.5 प्रशासनिक संरचना ..... 10

2. एपीडा का निर्यात परिदृश्य (अप्रैल 2019–मार्च 2020) ..... 12
- 2.1 कृषि निर्यात में एपीडा की हिस्सेदारी ..... 12
- 2.2 प्रमुख 15 बाजारों में एपीडा निर्यातों की हिस्सेदारी (%में) ..... 12
- 2.3 एपीडा के प्रमुख उत्पाद और प्रमुख बाजार ..... 13
- 2.4 एपीडा का निर्यात निष्पादन ..... 16

3. प्राधिकरण की बैठकें और सांविधिक कार्य ..... 17

4. निर्यातकों का पंजीकरण ..... 17
- 4.1 पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) ..... 17
- 4.2 पंजीकरण सह अबंटन प्रमाणपत्र (आरसीएसी) ..... 18
  - 4.2.1 बासमती चावल के निर्यात के लिए जारी आरसीएसी ..... 18
  - 4.1.2 मूंगफली और मूंगफली उत्पादों के निर्यात के लिए जारी निर्यात प्रमाणपत्र (सीओई) ..... 18

5. एपीडा में राजभाषा का कार्यान्वयन ..... 18

6. एपीडा की कृषि निर्यात संवर्धन योजना ..... 20

7. एपीडा की ई–गवर्नेन्स पहल ........ 21
8. बागबानी क्षेत्र (ताजे फल और सब्जियां तथा पुष्पकृषि) ........ 23
9. प्रसंस्कृत एवं अन्य प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र ........ 26
10. पशुधन क्षेत्र ........ 27
11. अनाज क्षेत्र ........ 30
12. जैविक क्षेत्र ........ 32
13. अवसंरचना विकास ........ 34
14. गुणवत्ता विकास ........ 36
15. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी ........ 38
15.1 अंतर्राष्ट्रीय आयोजन ........ 38
15.2 राष्ट्रीय आयोजन ........ 40
16. एपीडा के क्षेत्रिय कार्यालयों की गतिविधियाँ ........ 44
16.1 गुवाहाटी ........ 44
16.2 हैदराबाद ........ 48
16.3 बैंगलुरू ........ 50
16.4 कोलकाता ........ 54
16.5 मुम्बई ........ 57
17. कृषि निर्यात नीति का कार्यान्वयन ........ 62

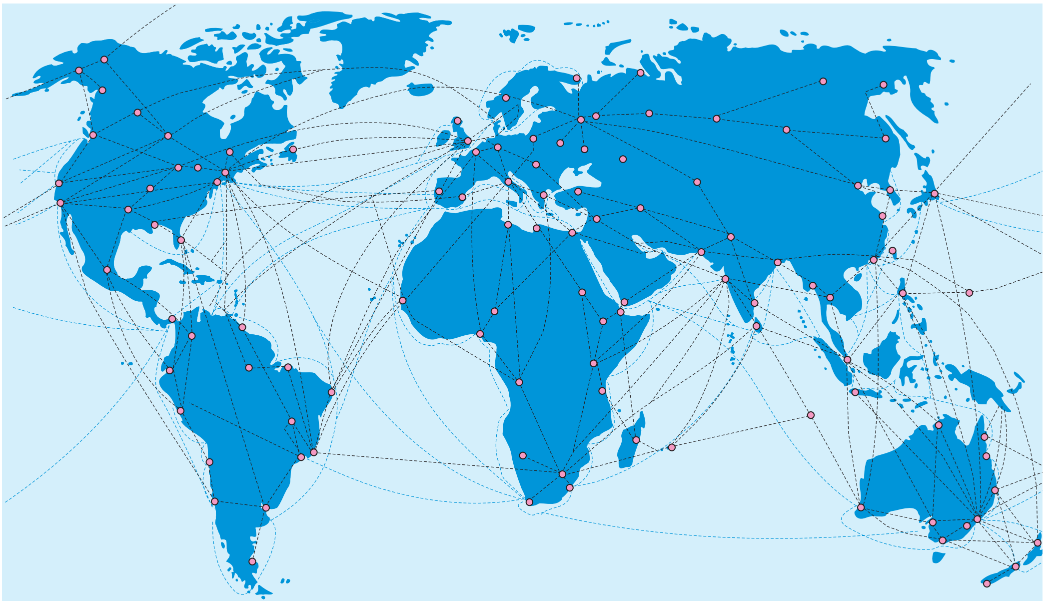

# 1. एपीडा के बारे में

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की स्थापना भारत सरकार द्वारा दिसम्बर 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। यह अधिनियम (1986 का 2) 13 फरवरी 1986 को भारत के राजपत्र में जारी एक अधिसूचनाः विशेषतः भाग–2 (धारा 3 (ii): 13.2.1986) के द्वारा लागू हुआ था। इस प्राधिकरण ने प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद (पीएफईपीसी) को प्रतिस्थापित किया था।

एपीडा अधिनियम के अध्याय V की धारा 21(2) के संदर्भ में विगत वित्त वर्षों के दौरान अपनी गतिविधियों, नीति और कार्यक्रमों का सही और पूर्ण लेखों का विवरण प्रस्तुत करने वाली प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जानी आवश्यक है जिससे इसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

यह वित्त वर्ष 2019–20 के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की 34वीं वार्षिक रिपोर्ट है।

## 1.1 एपीडा संगठन संरचना

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) का मुख्यालय नई दिल्ली में है और एपीडा के कार्यपालक, एपीडा अध्यक्ष है।

एपीडा ने मुम्बई, बैंगलुरू हैदराबाद, कोलकाता और गुवाहाटी में पांच क्षेत्रीय कार्यालयों को स्थापित किया है।

## 1.2 निर्दिष्ट कार्य

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) अधिनियम, (1986 का 2) के प्रावधानों के अनुसार एपीडा को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं।

क) वित्तीय सहायता प्रदान करके या अन्य सर्वेक्षण करने के माध्यम से निर्यात के लिए अनुसूचित उत्पादों से संबंधित उद्योगों का विकास और व्यवहार्यता अध्ययन, संयुक्त उद्यमों और अन्य राहत और सब्सिडी योजनाओं के माध्यम से इक्विटी पूंजी में भागीदारी

ख) निर्धारित शुल्क के भुगतान पर अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों के रूप में व्यक्तियों का पंजीकरण;

ग) निर्यातों के उद्देश्य से अनुसूचित उत्पादों के लिए मानकों और विशिष्टताओं का निर्धारण करना;

घ) स्लाउटर हाउसों (बूचड़खानों) प्रसंस्करण प्लांट, भंडारण परिसरों, संप्रेषणों या अन्य स्थानों पर मांस और मांस उत्पादों का निरीक्षण करना जहां ऐसे उत्पाद रखे जाते हैं या ऐसे उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है;

ड़) अनुसूचित उत्पादों की पैकेजिंग में सुधार;

च) भारत के बाहर अनुसूचित उत्पादों के विपणन में सुधार

छ) निर्यातोन्मुख उत्पादन का विकास और अनुसूचित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना;

ज) अनुसूचित उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, मार्केटिंग या निर्यात में लगे कारखानों या संस्थानों के मालिकों या अन्य ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें अनुसूचित उत्पादों के संबंध में किसी भी मामले में निर्धारित किया जा सकता है, से आंकड़ों का संग्रह करना और इन आंकड़ों का या इनके किन्ही अंशों एवं उनके उद्धरणों को प्रकाशित करना।

झ) अनुसूचित उत्पादों से जुड़े उद्योगों के विभिन्न पक्षों में प्रशिक्षण;

ट) यथा निर्धारित, अन्य ऐसे मामले

## 1.3 एपीडा द्वारा मॉनिटर किए गए उत्पाद

**एपीडा द्वारा मॉनिटर उत्पाद**

01 फल, सब्जियाँ और इनके उत्पाद
02 मांस और मांस उत्पाद
03 पॉल्ट्री और पॉल्ट्री उत्पाद
04 डेयरी उत्पाद
05 कन्फेक्शनरी, बिस्कुट और बेकरी उत्पाद
06 शहद, गुड़ और चीनी उत्पाद
07 कोको और इसके उत्पाद, सभी प्रकार के चॉकलेट
08 मादक और गैर–मादक पेय पदार्थ
09 अनाज और अनाज के उत्पाद
10 मूंगफली और अखरोट
11 अचार, पापड़ और चटनियाँ
12 ग्वार गम
13 पुष्पकृषि और पुष्पकृषि उत्पाद
14 हर्बल और औषधीय पौधे

बासमती चावल को एपीडा अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है।

इसके अतिरिक्त एपीडा को चीनी के आयात की निगरानी की जिम्मेदारी भी दी गई है।

एपीडा जैविक निर्यातों के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के अंतर्गत प्रमाणीकरण निकायों के प्रत्यायन के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है। निर्यात के लिए "जैविक उत्पादों" को केवल तभी प्रमाणित किया जाता है जब उन्हें "राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी)" दस्तावेज में दिए गए मानकों के अनुरूप उत्पादित, प्रोसेस और पैक किया जाता है।

## 1.4 एपीडा प्राधिकरण की संरचना

संविधि में निर्धारित अनुसार, एपीडा प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य होते हैं:

### एपीडा प्राधिकरण

01 अध्यक्ष
केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त

02 कृषि विपणन सलाहकार,
भारत सरकार
पदेन

03 केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त
एक सदस्य जो नीति आयोग
का प्रतिनिधित्व करता है

04 संसद के तीन सदस्य जिनमें से
दो का चुनाव लोक सभा और एक
का राज्य सभा से किया जाता है

05 केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त आठ सदस्य जो कि केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करेंगे

(i) कृषि और ग्रामीण विकास
(ii) वाणिज्य
(iii) वित्त
(iv) उद्योग
(v) खाद्य
(vi) नागरिक आपूर्ति
(vii) नागर विमानन
(viii) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग

06 संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिशों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वर्णमाला क्रम में रोटेशन द्वारा केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त पांच सदस्य

07 केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सात सदस्य जो निम्न का प्रतिनिधित्व करते है:

(i) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
(ii) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
(iii) राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड)
(iv) केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान
(v) भारतीय पैकेजिंग संस्थान
(vi) मसाला निर्यात संवर्धन परिषद और
(vii) भारत का काजू निर्यात संवर्धन परिषद्

08 केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त बारह सदस्यों का प्रतिनिधित्व:

(क) फल और सब्जियां उत्पाद उद्योग
(ख) मांस, पोल्ट्री और डेयरी उत्पाद उद्योग
(ग) अन्य अनुसूचित उत्पाद उद्योग
(घ) पैकेजिंग उद्योग

09 कृषि, अर्थशास्त्र और विपणन के क्षेत्र में अनुसूचित उत्पादों के विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों में से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त दो सदस्य।

## 1.5 प्रशासनिक संरचना

**अध्यक्ष**
केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त

**निदेशक**
एपीडा द्वारा नियुक्त

**सचिव**
केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त

**अन्य अधिकारी और स्टाफ**
एपीडा द्वारा नियुक्त

एपीडा अधिनियम की धारा 7 (3) में प्राधिकरण द्वारा ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रावधान है, जो अपने कार्यों के कुशल प्रदर्शन के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

क, ख, ग, घ (अध्यक्ष सहित) की विभिन्न श्रेणियों में कुल स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या 124 है।

### प्राधिकरण के अध्यक्ष

श्री पवन कुमार बोरठाकुर ने 1.4.2019 से 31.03.2020 एपीडा के अध्यक्ष का पदभार संभाला।

### निदेशक

1.4.2019 से 19.3.2020 की अवधि के दौरान निदेशक एपीडा का पद रिक्त था।

डॉ. तरुण बजाज, महाप्रबंधक एपीडा को 20.03.2020 को निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया।

## प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, संगठन में 124 कुल कर्मचारी क्षमता (अध्यक्ष और सचिव सहित) की तुलना में कर्मचारियों की कुल संख्या 84 थी। एपीडा प्राधिकरण के कर्मचारियों का श्रेणी–वार विवरण निम्नानुसार था:

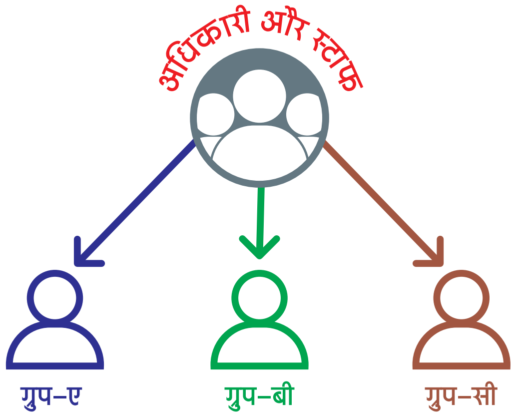


| | |
|---|---|
| सरकार में श्रेणी क के समकक्ष पद (अध्यक्ष एवं सचिव सहित) | 23 |
| सरकार में श्रेणी ख के समकक्ष पद | 31 |
| सरकार में श्रेणी ग के समकक्ष पद | 30 |

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला कर्मचारियों के कल्याण और विकास को प्राधिकरण द्वारा पर्याप्त रूप से देखा जाता है।

एपीडा ने कार्य स्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता उप महाप्रबंधक स्तर की एक महिला अधिकारी कर रही है।

सरकार मानदंड के अनुसार, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण सभी श्रेणियों में कुल संख्या का 4 प्रतिशत है। 84 के मौजूदा स्टाफ की संख्या में दो पदग्राही शारीरिक रूप से विकलांग हैं। एपीडा ने विकलांगों के कल्याण का ध्यान रखा है। एपीडा ने कर्मचारियों को कार्यालय के अंदर आने–जाने के लिए मोटराइज्ड व्हील चेयर प्रदान की है। इसके अलावा, नियम के अनुसार सभी सुविधाएं उन्हें दी जाती हैं। अभी तक उनसे कोई शिकायत नहीं मिली है।

वर्तमान में, एपीडा में ग्रुप क, ख और ग श्रेणियों में कुल 25 महिला कर्मचारी हैं। महिला कर्मचारियों के कल्याण को भी अच्छी तरह से ध्यान रखा जाता है और उत्पीड़न या उनके कल्याण से संबंधित किसी भी महिला कर्मचारी की कोई शिकायत नहीं थी।

# 2. एपीडा का निर्यात परिदृश्य (अप्रैल 2019–मार्च 2020)

## 2.1 एपीडा का कृषि निर्यात में हिस्सा

यूएस बिलियन डॉलर में मूल्य

| | |
|---|---|
| कुल पण्य निर्यात | 313.2 |
| कृषि उत्पादों का निर्यात (कॉटन सहित) | 35.1 |
| पण्य निर्यातों में कृषि का हिस्सा | 11.2 |
| एपीडा द्वारा निगरानी किए गए उत्पादों का निर्यात (सभी कृषि उत्पादों का 45.9 प्रतिशत) | 16.1 |

स्रोतः डीजीसीआईएस, प्रमुख वस्तुएं

कृषि नर्यात बास्केट (प्रतिशत हिस्सा)–वर्ष 2019–20

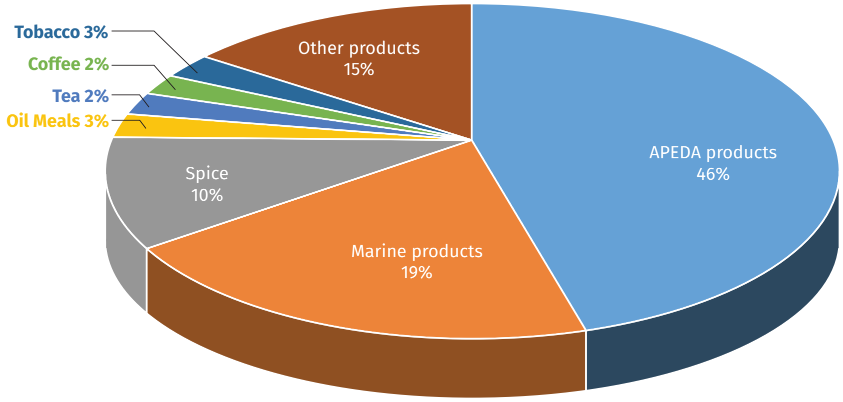


## 2.2 प्रमुख 15 बाजारों में एपीडा के निर्यातों का प्रतिशत हिस्सा

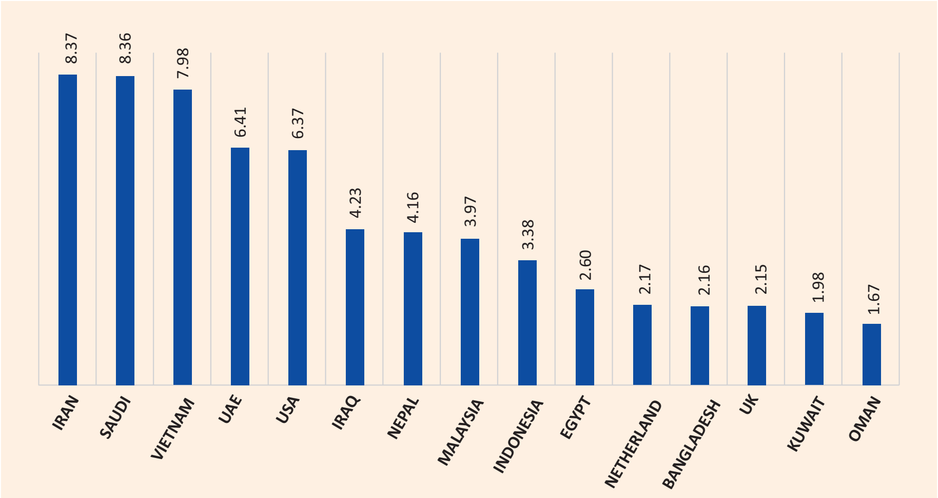

## 2.3 2019–20 में एपीडा के प्रमुख उत्पाद और प्रमुख बाजार (प्रतिशत में)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| पुष्पकृषि | | | | |
| यूएसए (25.67 %) | नीदरलैंड (14.50 %) | जर्मनी (7.56 %) | यूके (7.55 %) | संयुक्त अरब अमीरात (6.11 %) |
| फल और सब्जियों के बीज | | | | |
| नीदरलैंड (20.51 %) | यूएसए (16.43 %) | बांग्लादेश (10.84 %) | थाइलैंड (6.66 %) | पाकिस्तान (4.33 %) |
| ताजा प्याज | | | | |
| बांग्लादेश (23.71 %) | मलेशिया (18.71 %) | संयुक्त अरब अमीरात (12.80 %) | श्रीलंका (12.64 %) | नेपाल (4.07 %) |
| अन्य ताजा सब्जियां | | | | |
| संयुक्त अरब अमीरात (21.08 %) | नेपाल (18.62 %) | यूके (9.25 %) | कतर (8.95 %) | बांग्लादेश (5.10 %) |
| अखरोट | | | | |
| फ्रांस (22.82 %) | यूके (19.20 %) | जर्मनी (18.23 %) | संयुक्त अरब अमीरात (17.08 %) | नीदरलैंड (8.38 %) |
| ताजा आम | | | | |
| संयुक्त अरब अमीरात (35.70 %) | यूके (16.89 %) | यूएसए (7.64 %) | टोमान (6.89 %) | कतर (6.85 %) |
| ताजा अंगूर | | | | |
| नीदरलैंड (36.14 %) | रूस (12.20 %) | यूके (9.44 %) | बांग्लादेश Pr (6.33 %) | जर्मनी (6.28 %) |
| अन्य ताजा फल | | | | |
| संयुक्त अरब अमीरात (21.81 %) | बांग्लादेश (19.42 %) | इरान (10.97 %) | नेपाल (10.49 %) | ओमान (6.04 %) |
| अन्य (पान के पत्ते और नट्स) | | | | |
| श्रीलंका (21.43 %) | मालदीव्स (18.39 %) | बांग्लादेश (17.38 %) | संयुक्त अरब अमीरात (14.33 %) | नेपाल (7.39 %) |
| खीरा और ककड़ी (तैयार और संरक्षित) | | | | |
| यूएसए (25.12 %) | फ्रांस (8.65 %) | रूस (8.61 %) | स्पेन (7.68 %) | जर्मनी (7.12 %) |
| प्रसंस्कृत सब्जियां | | | | |
| यूएसए (20.98 %) | यूके (10.38 %) | जर्मनी (7.15 %) | थाइलैंड (6.36 %) | रूस (4.61 %) |
| आम की लुग्दी | | | | |
| सऊदी अरब (21.51 %) | यमन गणराज्य (10.61 %) | नीदरलैंड (10.47 %) | कुवैत (7.94 %) | यूएसए (6.70 %) |
| प्रसंस्कृत फल, जूस और नट्स | | | | |
| नीदरलैंड (13.17 %) | यूएसए (11.32 %) | सऊदी अरब (10.16 %) | संयुक्त अरब अमीरात (5.53 %) | रूस (3.67 %) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **दालें** | | | | |
| चीन गणराज्य (16.27 %) | यूएसए (13.32 %) | अल्जीरिया (10.68 %) | बांग्लादेश (10.57 %) | श्रीलंका (7.14 %) |
| **भैंस का मांस** | | | | |
| वियतनाम गणराज्य (33.39 %) | मलेशिया (11.83 %) | मिश्र गणराज्य (10.43 %) | इंडोनेशिया (7.29 %) | इराक (5.33 %) |
| **भेड़/बकरी का मांस** | | | | |
| संयुक्त अरब अमीरात (70.25 %) | कतर (9.59 %) | कुवैत (9.53 %) | सऊदी अरब (4.29 %) | ओमान (2.83 %) |
| **अन्य मांस** | | | | |
| भुटान (73.38 %) | वियतनाम (18.95 %) | म्यमांर (3.05 %) | नेपाल (1.66 %) | लाइबेरिया (1.07 %) |
| **प्रसंस्कृत मांस** | | | | |
| म्यंमार (32.29 %) | सं. अरब अमीरात (23.71 %) | थाइलैंड (21.73 %) | कतर (12.10 %) | भुटान (5.61 %) |
| **पशुओं की खाल** | | | | |
| वियतनाम (61.19 %) | हाँग काँग (21.96 %) | थाइलैंड (8.61 %) | म्यंमार (3.02 %) | मलेशिया (2.37 %) |
| **पॉल्ट्री के उत्पाद** | | | | |
| ओमान (32.80 %) | मालद्वीप (11.59 %) | इंडोनेशिया (8.00 %) | रूस (7.28 %) | वियतनाम (6.89 %) |
| **डेयरी उत्पाद** | | | | |
| संयुक्त अरब अमीरात (19.69 %) | भुटान (11.99 %) | तुर्की (9.77 %) | इजिप्ट (8.36 %) | यूएसए (7.63 %) |
| **प्राकृतिक शहद** | | | | |
| यूएसए (75.06 %) | सऊदी अरब (5.29 %) | संयुक्त अरब अमीरात (4.09 %) | कनाडा (1.93 %) | कतर (1.68 %) |
| **केसिन** | | | | |
| फिलीपीन्स (25.51 %) | कोरिया (16.98 %) | तुर्की (14.63 %) | यूएसए (12.84 %) | जापान (7.19 %) |
| **एल्बुमिन (अण्डे और दूध)** | | | | |
| जापान (37.81 %) | वियतनाम (28.72 %) | इंडोनेशिया (11.85 %) | थाइलैंड (8.42 %) | फिलीपीन्स (5.17 %) |
| **मूंगफली** | | | | |
| इंडोनेशिया (33.01 %) | वियतनाम (20.82 %) | फिलीपीन्स (7.47 %) | मलेशिया (5.62 %) | थाइलैंड (4.87 %) |
| **ग्वार गम** | | | | |
| यूएसए (34.46 %) | रूस (9.60 %) | नॉर्वे (7.67 %) | जर्मनी (6.85 %) | चीन गणराज्य (6.66 %) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| गुड़ और कन्फेक्शनरी | | | | |
| श्रीलंका (7.84 %) | नाइजीरिया (7.18 %) | नेपाल (6.02 %) | मलेशिया (5.72 %) | तंजानिया गणराज्य (5.00 %) |
| कोको उत्पाद | | | | |
| यूएसए (24.43 %) | इंडोनेशिया (10.53 %) | तुर्की (9.10 %) | नेपाल (5.56 %) | ब्राजील (5.16 %) |
| अनाज से तैयार वस्तुएं | | | | |
| यूएसए (17.72 %) | नेपाल (9.72 %) | बांग्लादेश (7.60 %) | संयुक्त अरब अमीरात (7.29 %) | यूके (5.57 %) |
| मिल के उत्पाद | | | | |
| यूएसए (26.19 %) | संयुक्त अरब अमीरात (12.04 %) | कतर (7.37 %) | आस्ट्रेलिया (7.12 %) | यूके (5.82 %) |
| मादक पेय पदार्थ | | | | |
| संयुक्त अरब अमीरात (31.88 %) | सिंगापुर (12.72 %) | नदीरलैंड (6.81 %) | घाना (4.49 %) | नेपाल (3.15 %) |
| विविध तैयार वस्तुएं | | | | |
| यूएसए (21.69 %) | संयुक्त अरब अमीरात (11.84 %) | नेपाल (7.22 %) | आस्ट्रेलिया (5.62 %) | इरान (4.63 %) |
| बासमती चावल | | | | |
| इरान (28.51 %) | सऊदी अरब (21.88 %) | इराक (9.92 %) | संयुक्त अरब अमीरात (4.79 %) | कुवैत (4.60 %) |
| गैर–बासमती चावल | | | | |
| नेपाल (12.08 %) | बेनिन (9.58 %) | संयुक्त अरब अमीरात (6.48 %) | सोमालिया (6.07 %) | गिन्नी (5.96 %) |
| गेहूं | | | | |
| नेपाल (72.06 %) | बांग्लादेश (14.42 %) | संयुक्त अरब अमीरात (5.13 %) | सोमालिया (2.33 %) | कोरिया (1.55 %) |
| मक्का | | | | |
| नेपाल (67.96 %) | बांग्लादेश (10.69 %) | म्यंमार (6.24 %) | पाकिस्तान (3.06 %) | भुटान (2.35 %) |
| अन्य अनाज | | | | |
| पाकिस्तान (13.52 %) | संयुक्त अरब अमीरात (13.01 %) | सऊदी अरब (7.56 %) | नेपाल (7.20 %) | यूएसए (5.78 %) |

स्रोत : डीजीसीआईएस

## 2.4 एपीडा का निर्यात निष्पादन

| एपीडा उत्पाद | 2017.18 | | 2018.19 | | 2019.20 | | 2018–19 से 2019–20 में प्रतिशत वृद्धि | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | करोड़ रुपये | मिलियन यूएस डॉलर | करोड़ रुपये | मिलियन यूएस डॉलर | करोड़ रुपये | मिलियन यूएस डॉलर | रुपये | यूएस डॉलर |
| बासमती चावल | 26870.2 | 4169.5 | 32804.3 | 4722.5 | 31025.9 | 4330.7 | -5.4 | -8.3 |
| भैंस का मांस | 26033.8 | 4036.9 | 25168.3 | 3608.7 | 22668.5 | 3175.1 | -9.9 | -12.0 |
| गैर–बासमती चावल | 22967.8 | 3564.4 | 21185.3 | 3047.8 | 14364.7 | 2014.6 | -32.2 | -33.9 |
| मूंगफली | 3386.3 | 524.8 | 3298.3 | 473.8 | 5096.4 | 711.4 | 54.5 | 50.1 |
| विविध तैयार वस्तुएं | 2947.1 | 457.1 | 4073.0 | 583.3 | 4147.9 | 581.3 | 1.8 | -0.3 |
| अनाज से बनी वस्तुएं | 3559.9 | 552.3 | 3859.6 | 553.2 | 3871.8 | 542.6 | 0.3 | -1.9 |
| गवार गम | 4169.6 | 646.9 | 4707.1 | 676.5 | 3261.6 | 456.9 | -30.7 | -32.5 |
| प्रोसेस किए गए फल, जूस और नट्स | 2647.8 | 410.8 | 2805.0 | 402.5 | 3086.4 | 432.0 | 10.0 | 7.3 |
| प्रसंस्कृत सब्जियां | 2211.6 | 343.1 | 2474.0 | 354.8 | 2760.5 | 386.6 | 11.6 | 9.0 |
| ताजा प्याज | 3088.8 | 479.3 | 3468.9 | 498.2 | 2320.7 | 324.2 | -33.1 | -34.9 |
| ताजा अंगूर | 1900.0 | 294.6 | 2335.3 | 334.8 | 2176.9 | 298.0 | -6.8 | -11.0 |
| अन्य ताजा फल | 1443.8 | 224.1 | 1834.6 | 262.4 | 2065.8 | 288.1 | 12.6 | 9.8 |
| अन्य ताजा सब्जियां | 1848.8 | 286.8 | 1951.0 | 279.1 | 2029.4 | 284.3 | 4.0 | 1.9 |
| मादक पेय | 2105.9 | 326.7 | 2104.0 | 301.7 | 1648.6 | 231.0 | -21.6 | -23.4 |
| गुड़ और कन्फेक्शनरी | 1380.4 | 214.2 | 1606.5 | 230.2 | 1633.3 | 227.9 | 1.7 | -1.0 |
| दालें | 1473.3 | 228.3 | 1822.6 | 263.0 | 1533.7 | 214.9 | -15.8 | -18.3 |
| डेयरी उत्पाद | 1196.2 | 185.5 | 2423.0 | 345.7 | 1341.0 | 186.7 | -44.7 | -46.0 |
| कोका उत्पाद | 1144.4 | 177.5 | 1350.9 | 193.3 | 1274.3 | 178.9 | -5.7 | -7.4 |
| खीरा और ककड़ी (तैयार और संरक्षित) | 1285.2 | 199.5 | 1437.1 | 206.0 | 1241.2 | 173.5 | -13.6 | -15.8 |
| मिल्ड उत्पाद | 876.6 | 136.0 | 1060.2 | 151.9 | 1064.6 | 149.1 | 0.4 | -1.8 |
| मक्का | 1228.5 | 190.3 | 1872.5 | 270.3 | 1019.3 | 142.8 | -45.6 | -47.2 |
| फल और सब्जियों के बीज | 670.9 | 104.0 | 849.2 | 122.8 | 723.4 | 101.5 | -14.8 | -17.3 |
| भेड़/बकरी का मांस | 835.8 | 129.7 | 790.7 | 113.7 | 646.7 | 90.8 | -18.2 | -20.2 |
| प्राकृतिक शहद | 653.6 | 101.3 | 732.2 | 105.5 | 633.8 | 88.7 | -13.4 | -15.9 |
| आम की लुगदी | 673.9 | 104.5 | 657.7 | 94.0 | 584.3 | 81.9 | -11.2 | -12.8 |
| पॉल्ट्री उत्पाद | 552.2 | 85.7 | 687.3 | 98.4 | 574.6 | 80.4 | -16.4 | -18.3 |
| पुष्पकृषि | 507.3 | 78.7 | 571.4 | 82.0 | 541.6 | 75.9 | -5.2 | -7.4 |
| गेहूं | 624.4 | 96.7 | 425.0 | 60.5 | 439.1 | 61.8 | 3.3 | 2.1 |
| अन्य अनाज | 373.7 | 57.9 | 554.2 | 79.7 | 438.1 | 61.2 | -20.9 | -23.2 |
| ताजा आम | 382.3 | 59.3 | 406.5 | 60.3 | 400.2 | 56.1 | -1.5 | -6.9 |
| पशुओं की केंसिंग | 327.4 | 50.7 | 480.7 | 68.5 | 398.5 | 55.7 | -17.1 | -18.7 |
| अन्य (पान की पत्तियां और नट) | 137.5 | 21.3 | 174.3 | 25.0 | 137.1 | 19.2 | -21.3 | -23.2 |
| एल्बुमिन (अण्डे और दूध) | 83.7 | 13.0 | 103.1 | 14.8 | 82.4 | 11.6 | -20.1 | -21.8 |
| अखरोट | 127.2 | 19.7 | 66.8 | 9.6 | 52.8 | 7.4 | -21.0 | -23.4 |
| अन्य मांस | 16.4 | 2.6 | 13.7 | 2.0 | 16.3 | 2.3 | 18.9 | 16.3 |
| प्रसंस्कृत मांस | 9.9 | 1.5 | 13.5 | 2.0 | 14.7 | 2.1 | 8.9 | 5.1 |
| केसिन | 104.7 | 16.2 | 220.5 | 31.3 | 7.6 | 1.0 | -96.6 | -96.7 |
| कुल | 119846.7 | 18591.6 | 130387.8 | 18729.7 | 115323.8 | 16128.2 | -11.6 | -13.9 |

स्रोतः डीजीसीआईएस

## 3. प्राधिकरण की बैठकें और संविधिक कार्य

वर्ष 2019–20 के दौरान एपीडा प्राधिकरण की दो बैठक 28 जून 2019 और 27 दिसम्बर 2019 को आयोजित की गई थी।

## 4. निर्यातकों का पंजीकरण

### 4.1 पंजीकरण–सह–सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (संशोधित) की धारा 12 उप धारा (1) के तहत, प्रत्येक व्यक्ति जो अनुसूचित उत्पादों में से किसी एक या अधिक का निर्यात करता है, निर्यात की तिथि से एक माह के अंदर या यह धारा लागू होने की तिथि से तीन महिने के अंदर, जो भी बाद में, प्राधिकरण को अनुसूचित उत्पाद या उत्पादों के निर्यातक के रूप में पंजीकृत होने के लिए आवेदन करेगा। पंजीकरण और सदस्यता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। जारी किए गए प्रमाणपत्रों का विभाजन और एपीडा के अनुसूचित उत्पाद निम्नलिखित प्रकार से हैं:

| क्रम संख्या | कार्यालय का नाम | आरसीएमसी की कुल संख्या (नए) | आरसीएमसी की कुल संख्या (नवीनीकरण) | आरसीएमसी की कुल संख्या (संशोधन) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बैंगलुरू | 1366 | 345 | 572 |
| 2 | दिल्ली | 1143 | 412 | 560 |
| 3 | गुवाहाटी | 68 | 7 | 16 |
| 4 | हैदराबाद | 335 | 82 | 121 |
| 5 | कोलकाता | 451 | 102 | 128 |
| 6 | मुम्बई | 2505 | 507 | 954 |
| | **कुल** | 5868 | 1455 | 2351 |

## 4.2 पंजीकरण सह आबंटन प्रमाणपत्र (आरसीएसी)

### 4.2.1 बासमती चावल के निर्यात के लिए आरसीएजी जारी करना

महानिदेशक विदेशी व्यापार, भारत सरकार, नई दिल्ली (डीजीएफटी) द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 18/2015–20 दिनांक 1 अगस्त 2016 के द्वारा एपीडा में बासमती चावल के कोन्ट्राक्ट के पंजीकरण के शार्तांधीन भारत से बासमती चावल के निर्यात की अनुमति है। एपीडा द्वारा जारी व्यापार सूचना 16/09/2016 और तदुपरान्त समय–समय पर जारी किए गए संशोधनों की आवश्यकताओं के अनुसार आवेदन की जांच करने के बाद पंजीकरण सह आबंटन प्रमाणपत्र (आरसीएजी) जारी किए जाते है।

| कुल आरसीएसी | मात्रा (मिलियन मेट्रिक टन) | एफओ मूल्य (मिलियन यूएस डॉलर) |
|---|---|---|
| 29623 | 4.1246 | 4386.46274845 |

### 4.2.1 मूंगफली और मूंगफली के उत्पादों के निर्यात के लिए जारी निर्यात प्रमाणपत्र (सीओई)

एपीडा द्वारा मूंगफली और मूंगफली के उत्पादों के निर्यातकों/प्रोसेसरों को उस मात्रा के लिए निर्यात प्रमाणपत्र जारी किया जाता है जो एफलेटोक्सिन जांच में पास होता है जो अधिकृत प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर होता है जो यह बताता है कि प्रोसेसिंग और पैकेजिंग एपीडा द्वारा पंजीकृत प्रोसेसिंग इकाई और वेयरहाउस में की गई है। सीओई के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने पर एपीडा प्रक्रिया की अनुपालना की जांच करता है और उसके बाद डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित सीओई को ऑनलाइन जारी किया जाता है।

| कुल सीओई | मात्रा (मिलियन मेट्रिक टन में) |
|---|---|
| 34411 | 652251.10481 |

## 5. एपीडा में राजभाषा का कार्यान्वयन

वर्ष 2019–20 के दौरान राजभाषा नियम और अधिनियम, भारत सरकार के विभिन्न प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू किया गया। प्राधिकरण द्वारा की गई गतिविधियां निम्न प्रकार से हैं:

5.1. वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं।

5.2 राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का पूर्ण रूप से पालन किया गया।

5.3. एपीडा में हिंदी में काम करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजना उपलब्ध है। हिंदी में प्रभावी कार्य के लिए संगठन के अधिकारियों और कर्मचारियों को नकद पुरस्कार दिए गए।

5.4. एपीडा ने दिनांक 14.09.2020 को हिन्दी दिवस एनसीयूआई भवन के परिसर में स्थित अन्य कार्यालयों के साथ मिल कर संयुक्त रूप से मनाया जिसमें प्रख्यात लेखकों, पत्रकारों, अन्य प्रतिष्ठित अतिथियों आदि को आमंत्रित किया गया।

5.5 दिनांक 14.09.2020 को एनसीयूआई भवन के परिसर में स्थित छः अन्य कार्यालयों के साथ मिल कर संयुक्त रूप से हिन्दी दिवस मनाया गया जिसमें प्रख्यात लेखकों, पत्रकारों, अन्य प्रतिष्ठित अतिथियों आदि को आमंत्रित किया गया।

5.6 राजभाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक कर्मचारी को कार्यालय सहायिका दी गई है और प्रत्येक अनुभाग को अंग्रेजी–हिन्दी शब्दकोश दिया गया है।

5.7 प्रत्येक विभाग में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन की निगरानी के लिए नोडल अधिकारियों को नामित किया गया।

5.8 प्रत्येक कर्मचारी को 'कार्यालय सहायिका' दी गई है, और राजभाषा के प्रचार–प्रसार हेतु प्रत्येक विभाग को अंग्रेजी–हिन्दी शब्दोंकोश दिया गया है।

5.9 एपीडा वेबसाइट हिंदी में उपलब्ध है और समय–समय पर इसे अपडेट किया जा रहा है।

5.10. राजभाषा के कार्यान्वयन और हिंदी में पत्राचार बढ़ाने के लिए एपीडा ने पहल की है और निम्नलिखित ऑनलाइन प्रमाणपत्र द्विभाषी रूप से जारी किए जा रहे हैं:

क) आरसीएमसी

ख) आरसीएसी

ग) निर्यात के लिए प्रमाण पत्र

घ) शेलिंग और ग्रेडिंग यूनिट की मान्यता का प्रमाणन

ड़) बागवानी पैकहाउस के लिए मान्यता का प्रमाण पत्र

च) मांस प्लांटों के पंजीकरण का प्रमाण पत्र।

## 6. एपीडा की कृषि निर्यात संवर्धन योजना संबंधी स्कीम

वर्ष 2019–20 के लिए एपीडा को 73.648 करोड़ रुपये का बजट कृषि निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत आबंटित किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

### 2019–20 के लिए बजट विवरण

(करोड़ रुपये)

| | विवरण | वर्ष के लिए आबंटित कुल बजट | व्यय राशि | शेष देय |
|---|---|---|---|---|
| योजना | | | | |
| क | सहायता अनुदान सब्सिडी | | | |
| i) | परिवहन सहायता योजना (टीएएस) | 31.90 | 31.46 | शून्य |
| ii) | बाजार विकास | 13.80 | 13.18 | शून्य |
| | कुल (i) | 45.70 | 44.64 | शून्य |
| ख | पूंजी सम्पत्ति के सृजन के लिए अनुदान | | | |
| d) | अवसंरचनाओं का विकास | 20.04 | 20.65 | शून्य |
| | कुल (ii) | 20.04 | 20.65 | शून्य |
| ग | सामान्य सहायता अनुदान | | | |
| d) | गुणवत्ता नियंत्रण | 2.50 | 2.95 | शून्य |
| | **कुल (ग)** | 2.50 | 2.95 | शून्य |
| घ | पूर्वोत्तर क्षेत्र | 5.40 | 5.40 | |
| | **कुल (घ)** | 5.40 | 5.40 | शून्य |
| ड़ | कृषि निर्यात नीति | 0.008 | 0.008 | |
| | (**कुल (ड़)**) | 0.008 | 0.008 | शून्य |
| | **सकल योग (क+ख+ग+घ+ड़)** | 73.648 | 73.648 | शून्य |

## 7. एपीडा की ई–गवर्नेंस पहल

एपीडा ने मौजूदा ई–गवर्नेंस प्रणाली को बढ़ाने और हितधारकों के लाभ के लिए नई ऑनलाइन सुविधाएं शुरू करने के लिए वर्ष के दौरान कई पहल की हैं। नई प्रणाली के विकास और कार्यान्वयन में मुख्य पहल निम्नलिखित हैं:–

- जीआई क्षेत्र से बासमती चावल के घरेलू और निर्यात की निगरानी के लिए 'बासमती.नेट' ट्रेसबिलिटी सिस्टम का कार्यान्वयन किया गया। चंडीगढ़, अमृतसर और करनाल में बासमती.नेट ट्रैसेबिलिटी सिस्टम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। 80,000 से अधिक किसानों को 'बासमती.नेट' में पंजीकृत किया गया है।
- एपीडा ने को आईसीटी प्लेटफॉर्म की सहायता से निर्यातकों को आवश्यकतानुसार के एफपीओ से संपर्क करने के लिए सुविधा प्रदान करने हेतु एफपीओ पंजीकरण के लिए किसान कनेक्ट पोर्टल को विकसित और कार्यान्वित किया।
- समय सीमा को कम करने और मूल प्रमाणपत्र (सीओओ) प्राप्त करने के लिए दक्षता बढ़ाने के लिए, एपीडा ने पूरी प्रक्रिया को स्वचालित कर दिया है। नव विकसित अनुप्रयोग की मदद से निर्यातक दस्तावेज अपलोड कर के हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र डिजिटल रूप से प्राप्त कर सकते हैं।
- एपीडा के अधिकारियों के लिए पेरोल का कार्यान्वयन।
- आई–ट्रैक एप्लिकेशन में लीगल केस ऑटोमेशन मॉड्यूल को डिजाइन और विकसित किया गया। इस एप्लिकेशन की मदद से कानूनी मामलों को सिस्टम और अलर्ट के माध्यम से वकीलों को सौंपा जाएगा। सूचनाएं भी समय से चालू हो जाएंगी।
- एपीडा की दिन–प्रतिदिन की आधिकारिक गतिविधियों के लिए ई–ऑफिस मॉड्यूल को डिजाइन, विकसित और कार्यान्वित किया है, अर्थात, नोटिंग, आलेखन, डाक प्रेषण डायरी प्रविष्टि आदि।
- कोविड–19 महामारी में लॉक डाउन की अवधि के दौरान विभिन्न पंजीकृत इकाइयों, जैसे, मूंगफली, मांस, प्रयोगशाला, पैक हाउस और निर्यातकों आदि के कामकाज का आकलन करने के लिए और साथ ही उनके सामने आने वाली कठिनाइयों के कारण, एपीडा ने व्यापार प्रतिक्रिया को विकसित और कार्यान्वित किया। पंजीकृत इकाइयों के सामने आने वाली चुनौतियों को हल करने के लिए आवश्यक हस्तक्षेप करने के लिए मॉड्यूल का विकास किया गया।
- शिकायत के समग्र टीएटी (टर्न अराउंड टाइम) को कम करने के लिए शिकायतों की क्लोजर प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए ट्रेसनेट के लिए हेल्प डेस्क सहायता के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन तैयार की गई।
- नव/नवीकरण अनुप्रयोगों के लिए जैविक प्रमाणन के लिए प्रमाणन निकायों (सीबी) की प्रत्यायन के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया।

- पैक हाउस, मीट इकाईयों, मूंगफली इकाइयों आदि के निरीक्षण/निगरानी के लिए मोबाइल ऐप डिजाइन और विकसित की गई।
- सऊदी अरब के लिए एचएसीसीपी के लिए निर्यात की अनिवार्य आवश्यकताओं के साथ बासमती चावल के लिए आरसीएसी के ऑनलाइन जारी करने और ईयू के लिए ईआईसी लैब टेस्ट रिपोर्ट का एकीकरण सफलतापूर्ववक किया गया।
- विभिन्न विश्लेषणात्मक रिपोर्टों के संकलन और विकास के लिए निर्यात आयात व्यापार पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस की सदस्यता।
- बासमती चावल, हॉर्टिनेट और मोबाइल एप के लिए ऑनलाइन पेपरलेस अनुप्रयोगों के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।
- 32000 से अधिक प्राप्तकर्ताओं के पास और ट्विटर पर एपीडा दैनिक समाचार पत्र भेजा गया।
- सिक्योर सॉकेट लेयर (एसएसएल) को एपीडा वेबसाइट पर अपडेट किया गया है। अब, एपीडा वेबसाइट https://apeda.gov.in सुरक्षित है।
- एपीडा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक, इन्सटाग्राम आदि पर बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है। डीओसी की साप्ताहिक रिपोर्टों के अनुसार, एपीडा डीओसी के तहत शीर्ष 3 सबसे सक्रिय अकाउंट्स में शामिल है। आम और आम उत्पादों के लिए सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया गया और ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से एपीडा की महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रचार किया गया।
- एपीडा के आईटी अवसंरचना को मजबूत करने के लिए पुराने कंप्यूटर और सर्वर हार्डवेयर के साथ नए हार्डवेयर को स्थापित किया जा रहा है।
- एपीडा ने मार्केट इंटेलिजेंस ई–बुलेटिन की शुरुआत की है जिसमें प्रमुख बाजार और उपयोगी वस्तुएं शामिल हैं।

# 8. बागवानी क्षेत्र (ताजे फल और सब्जियाँ एवं पुष्प कृषि)

## 8.1 बाजार प्रवेश संबंधी मुद्दे

### 8.1.1 केरल से फलों और सब्जियों के आयात पर सउदी अरब द्वारा प्रतिबंध को हटाना

भारत की सउदी अरब दूतावास के दिनांक 29 अप्रैल 2019 के नोट वर्बल संख्या–209/40/1525 के द्वारा निप्पा वायरस के कारण लगे केरल राज्य से प्रसंस्कृत सब्जियों और फलों के आयात पर दिनांक 2 जुलाई 2019 से अस्थायी प्रतिबंध को सउदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने हटा दिया।

### 8.1.2 यूएसए में आमों के निर्यात के लिए परिचालन कार्य योजना

एपीडा और कृषि मंत्रालय ने यूएसए को आम के निर्यात के लिए यूएसडीए–एपीएचआईएस के साथ एक ऑपरेशनल वर्क प्लान (ओडब्लूपी) पर हस्ताक्षर किए हैं। ओडब्लूपी में मुंबई, नासिक और बेंगलुरु में विकिरण सुविधाओं पर क्वारंटाइन निरीक्षकों की तैनाती शामिल है। एपीडा और कृषि मंत्रालय यूएसडीए–एपीएचआईएस के साथ बातचीत कर रहा है ताकि निरीक्षण की उच्च लागत को कम करने के लिए भारत में अमेरिकी निरीक्षकों को तैनात करने के बजाय एनपीपीओ इंडिया को प्रीक्लेयरेंस प्रोग्राम के निरीक्षण के हस्तांतरण के लिए और अधिक से अधिक निर्यातकों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में आमों के निर्यात का अवसर उपलब्ध कराया जा सके। ओवरसीज ट्रांसफर के लिए ओडबल्युपी के मसौदे पर भारत की टिप्पणियों को एनपीपीओ के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया और मार्च 2020 में यूएसडीए–एपीएचआईएस को भेज दिया गया।

### 8.1.3 वनस्पति संरक्षण, कृषि विभाग के सहयोग से उठाए गए बाजार उपलब्धता के अन्य मुद्दे

एपीडा कृषि मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के साथ–साथ संबंधित दूतावासों ने विभिन्न फलों और सब्जियों की बाजार पहुंच के लिए बातचीत में लगातार शामिल होने के लिए व्यापक अभ्यास शुरू कर दिया है।

### 8.1.4 बाजार की उपलब्धता प्राप्त की

- **ऑस्ट्रेलिया**–यूपी से आम (वीएचटी के साथ) केवल उत्तर भारतीय आमों, अंगूर, कटे हुए फूलों के लिए
- **अर्जेंटीना**–आम

### 8.1.5 बाजार उपलब्धता के प्रयास

- चीन– अनार, फल और सब्जियां
- ऑस्ट्रेलिया– अनार (उन्नत चरण)
- दक्षिण अफ्रीका – अंगूर
- रूस – आलू
- संयुक्त राज्य अमेरिका – अनार के दाने, अंगूर
- मलेशिया – आम

## 8.2 अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन

### 8.2.1 आम, मौसमी फल और सब्जियों के लिए निर्यात संवर्धन कार्यक्रम और आरबीएसएम

आम, मौसमी फलों और सब्जियों के लिए निर्यात संवर्धन कार्यक्रम और आरबीएसएम का आयोजन 29–30 मई, 2019, मुंबई से किया गया, जिसमें 12 देशों के 25 अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों और 60 निर्यातकों ने भाग लिया।

### 8.2.2 एनईआर में अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक और सम्मेलन

i) **इंफाल, मणिपुर** (19–20 जून 2019)

दक्षिण पूर्व एशियाई देशों, पड़ोसी देशों, यूरोप और मध्य पूर्व के बीस आयातकों ने भाग लिया और निर्यातकों के साथ बातचीत की। आयोजन में 46 निर्यातकों, 22 एफपीओ/एफपीसी ने भाग लिया। आयातकों और निर्यातकों की एक दौरा इंफाल में अनानास क्षेत्र में आयोजित की गई थी।

ii) **अगरतला, त्रिपुरा** (26–27 सितंबर 2019)

आठ देशों के 20 अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों अर्थात बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, यूएई, बहरीन, कुवैत और ग्रीस और त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के 30 निर्यातकों और एफपीसी/एफपीओ ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के लिए एक क्षेत्र का दौरा राज्य सरकार द्वारा की गई पहल का प्रदर्शन करने के लिए जुमेर्डीफा, सिपाहीजला, त्रिपुरा में सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र में आयोजित किया गया था।

iii) **ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश** (14–15 नवंबर 2019)

सात देशों के 10 अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया, यूएई, ओमान और ग्रीस ने बैठक में भाग लिया और निर्यातकों के साथ बातचीत की। इस आयोजन में

60 से अधिक एफपीओ/एफपीसी की उपस्थिति दर्ज की गई। आयातकों और निर्यातकों को फील्ड विजिट के लिए जीरो में कीवी ऑर्चर्ड और वाइनरी ले जाया गया।

iv) **गंगटोक, सिक्किम (21–22 नवंबर 2019)**

विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) और सिक्किम की संभावनाओं को दिखाने और सिक्किम जैविक उत्पादों के लिए निर्यात बढ़ाने के लिए, एपीडा और सरकार ने संयुक्त रूप सें सिक्किम के गंगटोक में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन किया। 13 देशों के कुल 17 खरीदारों ने फ्रांस, स्विटजरलैंड, यूएई, सऊदी अरब, कतर, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, नेपाल और बांग्लादेश से 25 प्रमुख निर्यातकों और सिक्किम से 28 एफपीओ/एफपीसी प्राप्त किए। क्षेत्र की यात्रा के भाग के रूप में, आयातकों और निर्यातकों को जैविक खेत और टेमी चाय एस्टेट, सिक्किम ले जाया गया।

इन सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रेता–विक्रेता बैठकों में एनईआर क्षेत्र के कृषि–बागबानी और जैविक उत्पादों की एक विस्तृत श्रंखला अर्थात अनानास, स्ट्राबेरी, चेरी, मिर्च, किवी, छोटा संतरा, बकव्हीट (एक प्रकार का अनाज) आदि का प्रदर्शन करने के लिए प्रदर्शनियां लगाई गई थी।

## 8.3 पैकहाउस मान्यता योजना

- यूरोपीय संघ के लिए ताजे फल और सब्जियों के निर्यात के लिए पैकहाउस मान्यता योजना का कार्यान्वयन, क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पैकहाउस निरीक्षण करना, निरीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा और मान्यता प्रमाण पत्र जारी करना।
- चीन जैसे संबंधित देशों के एनपीपीओ को पंजीकृत किसानों/पैक हाउसों की सूची। (अंगूर के मामले में)
- निर्यात के लिए हॉर्टीनेट प्रणाली में किसानों का पंजीकरण।

## 8.4 रेपिड अलर्ट, अस्वीकृत और शिकायतें

आयात करने वाले देशों से रेपिड अलर्ट, अस्वीकृत, और शिकायतों की जांच की गई और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्यवाही की गई।

## 8.5 सूचनाओं पर सलाह

निर्यातकों की सूचना के लिए समय–समय पर महत्वपूर्ण अधिसूचना के लिए सलाह जारी की जाती हैं

# 9. प्रसंस्कृत और अन्य प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र

## 9.1 मूंगफली प्रसंस्करण इकाइयों की निगरानी

एपीडा मूंगफली और मूंगफली उत्पादों के निर्यात की निगरानी कर रहा है। मूंगफली और मूंगफली उत्पादों के निर्यात के लिए गोदामों और प्रसंस्करण इकाइयों सहित 128 इकाइयों को मान्यता दी गई है। 2019–20 की अवधि के दौरान, नई मूंगफली की 16 इकाइयों के पंजीकृत किए गए और 53 इकाइयों के पंजीकरण को नवीनीकृत किया गया।

## 9.2 पीनट.नेट के अंतर्गत बैच प्रसंस्करण का परिचय

भारत से निर्यात की जाने वाली मूंगफली और मूंगफली उत्पादों की खेप की ट्रैसेबिलिटी को बनाए रखने के लिए एपीडा ने पंजीकृत मूंगफली इकाइयों की भूमिका को शामिल करने के साथ अपने पीनट.नेट ट्रैसेबिलिटी सिस्टम को अपग्रेड किया। अब एपीडा की पंजीकृत मूंगफली इकाईयां अपने खरीदारों के पंजीकरण और निर्यातकों को बैच की आपूर्ति के लिए पीनट.नेट प्रणाली में लॉग इन करेंगी। निर्यातक इन इकाइयों से मात्रा स्रोतों से खेप बनाने में सक्षम होंगे और एफ्लाटॉक्सिन परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं में भेजेंगे।

## 9.3 कनेडियन खाद्य निरीक्षण एजेंसी के प्रतिनिधिमंडल का दौरा

एपीडा ने कनाडा में निर्यात करने वाली भारतीय खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में कनेडियन खाद्य निरीक्षण एजेंसी के प्रतिनिधिमंडल की दौरे का आयोजन किया था। एपीडा ने सत्यापन प्रक्रिया के संतुष्ट होने की सीएफआइए पुष्टि प्राप्त हुई।

## 9.4 एफएसपीसीए यूएसए द्वारा निवारक नियंत्रण योग्य व्यक्तिगत प्रशिक्षण

एफडीए फूड सेफ्टी मॉडरेशन एक्शन (एफएसएमए)– मानव खाद्य पदार्थों के लिए निवारक नियंत्रण (पीसीएचएफ) का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम 23 से 25 जनवरी 2019 तक अहमदाबाद में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का आयोजन एफएसएमए अधिकृत प्रशिक्षक, मैसर्स सतगुरु मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, हैदराबाद द्वारा किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 39 प्रतिभागियों/निर्यातकों ने भाग लिया और यह संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात करने वाले निर्यातकों के लिए लाभकारी पाया गया।

**9.5** तिरुपति, आंध्र प्रदेश में 15 फरवरी 2020 को एपीडा द्वारा आम की लुगदी के निर्यातकों के लिए खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता नियंत्रण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण हैदराबाद के एफएसएसएआई, एनपीपीओ और सतगुरु मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स द्वारा प्रदान किया गया था। प्रशिक्षण में आम की लुग्दी के 50 निर्यातकों ने भाग लिया।

## 9.6 पैकेजिंग मानकों का विकास

पैकेजिंग मानकों के विकास के लिए प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में दो संभावित उत्पादों (क) आईक्यूएफ फलों और सब्जियों (ख) गुड़ की पहचान की गई। प्रस्ताव भारतीय पैकेजिंग संस्थान से प्राप्त हुए थे।

## 9.7 उत्पाद दस्तावेज

इन उत्पादों के निर्यात के लिए नए उद्यमियों के मार्ग निर्देशन के लिए खीरा, गुड़, आम की लुग्दी और वाइन के उत्पाद दस्तावेज तैयार किए गए।

## 9.8 मूल्य वर्धित उत्पादों का विकास

चिन्हित किए गए मूल्य वर्धित उत्पादों के विकास पर सीएफटीआरआई/एनआईएफटीईएम और आईआईएफपीटी से प्रस्तावों के सृजन के लिए प्रक्रिया शुरू की गई।

## 9.9 सउदी अरब में प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए ट्रेसेबिलिटी परियोजना

सउदी अरब में प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए ट्रेसबिलिटी सिस्टम के विकास की प्रक्रिया शुरू की गई और एपीडा की वेबसाइट पर होस्ट किया गया।

# 10. पशुधन क्षेत्र

## 10.1 प्रतिनिधि मंडल

**10.1.1 फिलीपींस–** फिलीपींस के राष्ट्रीय मांस निरीक्षण सेवा के आठ ऑडिटरों और कृषि विभाग, फिलीपींस के दो अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने फिलीपींस को हड्डी विहीन भैंस के मांस निर्यात की अनुमति के लिए अट्ठारह एपीडा पंजीकृत एकीकृत बूचड़खाने–सह–मांस प्रसंस्करण प्लांट के ऑडिट हेतु 29 फरवरी से 11 मार्च 2020 तक भारत का दौरा किया।

**10.1.2 अंगोला–**अंगोला के दो सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अंगोला को निर्यात के लिए 11 भैंस के मीट के संयंत्रों के निरीक्षण और अनुमोदन के लिए 2 से 10 अगस्त, 2019 तक भारत का दौरा किया।

**10.1.3 मलेशिया–**एक 15 सदस्यीय मलेशियाई प्रतिनिधिमंडल ने 14 जुलाई से 1 अगस्त, 2019 के दौरान भैंस के मीट के निर्यात के लिए 31 मीट प्लांटों के निरीक्षण और अनुमोदन के लिए भारत का दौरा किया।

**10.1.4 जकार्ता और मेदान के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल–** भैंस के मीट, चावल और चीनी के 40 निर्यातकों के साथ अध्यक्ष, एपीडा के नेतृत्व में एक भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने 15 से 18 सितंबर, 2019 तक भैंस मीट, चावल और चीनी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जकार्ता और मेदान का दौरा किया। एपीडा ने भारतीय दूतावास के सहयोग से, जकार्ता में 16 सितम्बर 2019 को और मेदान में 18 सितम्बर 2019 को, जकार्ता ने आयातकों के साथ रोड शो और बी2बी बैठकों का आयोजन किया। इंडोनेशिया द्वारा भैंस के मांस के आयात में कोटा बढ़ाने, अतिरिक्त बंदरगाह खोलने आदि जैसे मुद्दे संबंधित प्राधिकारियों के साथ दौरे के दौरान उठाए गए।

**10.1.5 चीन के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल–** एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल जिसमें पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधिकारियों की एक टीम और एपीडा के प्रतिनिधि शामिल है, ने 26 सितंबर 2019 को भारत से भैंस के मांस के निर्यात के मामले पर चर्चा करने के लिए जीएसीसी अधिकारियों के साथ बैठक करने के लिए चीन का दौरा किया।

## 10.2 बाजार पहुंच संबंधी मुद्दे (मार्किट एक्सेस)

**10.2.1 मिस्र–** एपीडा ने मिस्र के अधिकारियों के साथ 'हलाल' के मुद्दे को सौहार्दपूर्वक निपटाने में कामयाबी हासिल की है और अब मिस्र के प्रतिनिधि तीन साल की अवधि में एक बार भारत को दौरा करेंगे।

**10.2.2 थाईलैंड–** एपीडा ने थाईलैंड के भैंस/भेड़/बकरी के मांस के निर्यात के लिए बाजार पहुंच प्राप्त करने के अनुरोध के साथ डोजियर को थाईलैंड अधिकारियों को सौंपा।

**10.2.3 हांगकांग–** फूड एंड इन्वाइरमेन्टल हाइजीन डिपार्टमेंट (एफईएचडी) हांगकांग को, भेंड के मांस निर्यात के लिए बाजार पहुंच के लिए फूड एंड हेल्थ ब्यूरों हांगकांग प्राधिकरण को रिपोर्टिंग करने के लिए डोजियर प्रस्तुत किया गया।

**10.2.4 दक्षिण अफ्रीका–** संयुक्त बैठक के दौरान दक्षिण अफ्रीका के साथ बाजार पहुंच के मुद्दे पर चर्चा की गई और भारतीय मांस संयंत्रों को भैंस के मांस के निर्यात की अनुमति देने का अनुरोध किया गया।

**10.2.5 रूस–** भारत से भैंस के मांस के निर्यात को बढाने के लिए अधिक मांस प्रसंस्करण संयंत्रों को मंजूरी देने के लिए रूसी प्राधिकारियों के साथ प्रयास किए गए हैं। एपीडा ने भारत से ईएएसयू और रूसी मानकों के अनुरूप भैंस के हड्डी विहीन मांस के निर्यात के अनुपालन के मूल्यांकन के लिए अधिक संख्या में प्लांट और रूसी पशु चिकित्सा विशेषज्ञ की प्रतिनियुक्ति करने का अनुरोध किया और रूस के लिए डेयरी उत्पादों के बाजार की उपलब्धता पर चर्चा की।

**10.2.6 सूअर के मांस के बाजार पहुंच–** इसके लिए एपीडा ने भारत के सियोल, दक्षिण कोरिया में भारत के दूतावास को लिखा है। एपीडा ने डीएएचडीएफए कृषि मंत्रालय को नेपाल, भूटान, म्यांमार, चीन, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम और दक्षिण कोरिया में ताजा/जमे हुए सुअर के मांस के निर्यात के लिए अनुरोध किया है।

## 10.3 एपीडा ने निम्नलिखित देशों के साथ मुद्दों को उठाया है

10.3.1 जापान के लिए (भारतीय अंडे पाउडर पर उच्च आयात शुल्क में कमी)।

10.3.2 कोरिया, नाइजीरिया, तुर्की, दक्षिण अफ्रीका में भैंस के मांस और डेयरी उत्पादों के विदेशी बाजार की उपलब्धता।

10.3.3 भैंस के मांस के लिए थाईलैंड में बाजार की उपलब्धता और आयात शुल्क में कमी।

10.3.4 सभी उपभोग करने वाले क्षेत्रों के लिए भैंस के मांस के लिए फिलीपींस में बाजार उपलब्धता

**10.4** एपीडा ने यूएसए के साथ कृषि विपणन सेवा (एएमएस), यूएस कृषि विभाग (यूएसडीए) की शब्दावली में भैंस के मीट को शामिल करने का मुद्दा उठाया है।

**10.5 निर्यातकों के साथ बैठक–** भैंस के मीट, डेयरी, पोल्ट्री उत्पादों और शहद निर्यात से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए नियमित बैठकें आयोजित की गईं।

## 10.6 व्यवसाय करने में आसानी

10.6.1 नए पंजीकरण/पंजीकरण के नवीकरण/वैधता/संशोधन के विस्तार/आई–ट्रैक प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू और कार्यान्वित की गई।

10.6.2 मांस प्रसंस्करण इकाइयों के दिशानिर्देशों के लिए एपीडा द्वारा रेड मीट मैनुअल तैयार किया गया है।

10.6.3 मीट प्लांट का निरीक्षण ठीक से और समयबद्ध तरीके से आयात और निर्यात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुनिश्चित किया गया था।

10.6.4 एपीडा ने एकीकृत मीट प्लांट, स्टैंड–अलोन स्लाउटर हाउस और प्रोसेसिंग प्लांट सहित 102 मीट प्लांट को मंजूरी दी और पंजीकृत किया।

10.6.5 **सुअर के मांस के लिए मापदण्ड की अधिसूचना:** एपीडा ने सूअर के मांस पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र के साथ मिलकर ताजा और फ्रोजन सुअर के मांस के निर्यात के लिए दिशानिर्देश और मानक विकसित किए हैं। मापदण्ड तैयार है और डीजीएफटी के अंतर्गत प्रक्रिया और मापदण्ड की अधिसूचना के लिए वाणिज्य मंत्रालय को प्रस्तुत किया जा रहा है।

10.6.6 **सुअर प्रसंस्करण के लिए अवसंरचना विकास:** पुर्वोत्तर क्षेत्र में सुअर पालन क्षेत्र की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, एपीडा ने असम के नाजिरा में असम राज्य पशुधन विकास निगम (एएलपीसीओ) की एक मांस प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने की सुविधा प्रदान की थी। यह परियोजना वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की टीआईईएस योजना के अंतर्गत स्वीकृत है। यह उत्तर पूर्व में पहली निर्यात उन्मुख आधुनिक सुअर के मांस प्रसंस्करण सुविधा है, जिसमें प्रति दिन 400 जानवरों (सूअरों) की वध क्षमता है। यह उम्मीद की जाती है कि परियोजना से सुअर के मांस

और सुअर के मांस उत्पादों के निर्यात के लिए वैज्ञानिक और स्वच्छ तरीके से सुअर पालन करके किसानों की आय बढ़ाने के लिए और असम के सिबसागर जिले और पड़ोसी जिले में 15,000 से अधिक परिवारों को लाभ होगा। प्लांट अप्रैल 2020 के अंत तक तैयार होने की उम्मीद है।

भारत से सुअर के मांस के निर्यात की संभावना को देखते हुए, एपीडा ने असम में इस परियोजना के बारे में सूअर के मांस की निर्यात क्षमता वाले राज्यों के साथ संपर्क किया है और उन्हें टीआईईएस योजना के तहत वित्त पोषित किया गया है और उनके राज्यों में उनसे निर्यात के लिए समान आधुनिक सुअर के मांस सुविधा स्थापित करने के लिए योजना का लाभ लेने का सुझाव दिया है।

**10.6.7 पशु पालन:** एपीडा ने निर्यात के लिए वैज्ञानिक सुअर पालन और प्रसंस्करण पर बीस जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता के लिए असम सरकार से प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह कार्यक्रम सरकार द्वारा पूरा किया गया है। असम के सूअर पालन को कवर करने वाले प्रमुख जिलों के नाम हैं – कामरूप ग्रामीण, शिवसागर, जोरहाट, माजुली, गोलाघाट, धेमाजी, लखीमपुर और गोलपारा। भारत के अन्य राज्यों में जल्द ही निर्यात उद्देश्य के लिए सुअर के वैज्ञानिक पालन पर इसी तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे।

**10.6.8 निर्यात के लिए नए उत्पादों का विकास करना:** सुअर के मांस और सुअर के मांस उत्पाद निर्यात की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, बुनियादी ढाँचे, मानकों और पीछे तरफ संपर्कों का विकास शुरू किया गया है, जल्द से जल्द सूअर का मांस और सुअर के मांस उत्पादों के निर्यात को सुनिश्चित करने के लिए उद्यमियों का विकास किया जा रहा है।

**10.6.9 शहद–** संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य बाजारों में विश्वास हासिल करने के लिए शहद के लिए एनएमआर परीक्षण के समर्थन किया। निर्यात प्रमाणपत्र आदि जारी करके निर्यातकों की मदद करने के लिए ईआईसी के साथ समझौता के साथ शहद का निर्यात सुनिश्चित किया गया है।

**10.6.10 रोग निगरानी–** पशुपालन विभाग और ओआईई के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की गई थी ताकि ओआईई के अनुसार एफएमडी मुक्त क्षेत्र घोषित किया जा सके और डोजियर प्रस्तुत किया जा सके।

## 11. अनाज क्षेत्र

### 11.1 व्यापार संवर्धन गतिविधियाँ

11.1.1 भारत से चावल के आयात के लिए सऊदी अरब नए नियम लेकर आया था। एपीडा के नेतृत्व में एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने 29 अगस्त, 2019 को रियाद का दौरा किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये नियम उचित हैं और भारतीय निर्यातक भी इसका अनुपालन करने की स्थिति में हैं।

11.1.2 एक आधिकारिक व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने भारत से चावल को बढ़ावा देने के लिए 16–19 सितंबर 2019 को इंडोनेशिया का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अध्यक्ष, एपीडा द्वारा किया गया

था। जकार्ता में भारत के दूतावास और भारत के महावाणिज्य दूतावास के सहयोग से एपीडा ने 16 सितंबर 2019 को जकार्ता में और 18 सितंबर 2019 को मेदान में आयातकों के साथ रोड शो और बी 2 बी बैठकों का आयोजन किया।

**11.1.3** भारत से बासमती चावल के आयात के लिए ईरान सबसे बड़े बाजारों में से एक है। ईरानी बंदरगाहों पर काफी समय से बासमती चावल की बड़ी खेप स्थित रही थी। परिणामस्वरूप निर्यातक ईरानी आयातकों द्वारा भारतीय निर्यातकों को भारी विलम्ब शुल्क देने के लिए उत्तरदायी थे। तेहरान में भारत के दूतावास के माध्यम से एपीडा ईरान में संबंधित प्राधिकरणों के साथ इस मुद्दे पर नियमित रूप से चर्चा कर रहा था। तब से यह समस्या काफी हद तक हल हो गई है।

**11.1.4** निर्यातकों को एपीडा द्वारा भाग लेने वाले प्रमुख अंतरराष्ट्रीय व्यापार कार्यक्रमों में ले जाया जाता है। अधिकांश व्यापार आयोजनों में एपीडा बासमती चावल यानी बासमती चावल की बिरयानी को तैयार करता है ताकि भारतीय बासमती चावल के सुगंधित स्वाद से दुनिया को परिचित कराया जा सके।

**11.1.5** भारत में बासमती चावल में निहित बौद्धिक संपदा की सुरक्षा और जीआई चेन्नई द्वारा जारी 15/2/2016 के पंजीकृत जीआई वीडियोग्राफी प्रमाण पत्र।

**11.1.6** आयातक देशों में नियामक निकायों जैसे यूरोपीय में खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (ईएफएसए), जीएसीसी, चीन और सऊदी अरब में एसएफडीए जैसे के साथ बातचीत।

**11.1.7** आयातक देशों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुपालन के प्रति व्यापार का संवेदीकरण।

## 11.2 खरीफ 2019 में कीटनाशकों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसानों के लिए जागरूकता अभियान

**11.2.1** कीटनाशकों के अवशेषों के संबंध में आयात करने वाले देशों के मानकों को पूरा करने वाली अच्छी गुणवत्ता वाली बासमती की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए एपीडा जीआई क्षेत्र के 7 राज्यों में बासमती उत्पादकों में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। एपीडा द्वारा बीईडीएफ, केवीके और राज्य कृषि विभागों के सहयोग से 82 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं ताकि किसानों को अच्छी कृषि पद्धतियों और कीटनाशकों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए जागरूक किया जा सके।

**11.2.2** किसानों को राज्यों, एपीडा और निर्यातकों से सभी संस्थानों तक पहूंच में सुधार के लिए 'बासमती. नेट' पर पंजीकृत किया जा रहा है। 'बासमती.नेट' एपीडा द्वारा खरीफ, 2017 में शुरू किए गए किसानों के पंजीकरण के लिए एक वेब–सक्षम प्रणाली है। पंजाब राज्य में, 80000 से अधिक किसानों को पंजाब राज्य में पंजीकृत किया गया है। अन्य राज्यों में बासमती.नेट सिस्टम के कार्यान्वयन के लिए, एपीडा नियमित रूप से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू–कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली सरकार के संपर्क में है।

# 12. जैविक क्षेत्र

## 12.1 पारस्परिक मान्यता गतिविधियाँ

12.1.1 जैविक उत्पादों के व्यापार के लिए ताइवान के साथ पारस्परिक मान्यता समझौता दोनों पक्षों द्वारा एक–दूसरे की प्रणाली के सत्यापन के बाद समापन चरण में पहुंच गया है। ताइवान सरकार ने संबंधित प्रस्ताव की मंजूरी से अवगत कराया। अब इस मामले में ताइवान के साथ एमआरए में प्रवेश करने के लिए भारत सरकार की मंजूरी का इंतजार है।

12.1.2 भारतीय पक्ष ने दक्षिण कोरियाई जैविक प्रणाली का सत्यापन किया है, जब भारत के एनपीओपी द्वारा कोरियाई पक्ष का आकलन किया गया था। दोनों पक्ष एमआरए में प्रवेश करने के अग्रिम चरण में हैं।

12.1.3 जापान, चीन और न्यूजीलैंड जैसे संभावित देशों के साथ पारस्परिक मान्यता समझौते की प्रक्रिया शुरू की गई।

12.1.4 यूएसडी एवं एनओपी टीम और कनेडियन टीम ने भारत के एनपीओपी का ऑडिट किया। भारत यूएसडीए के साथ निरंतरत मूल्यांकन कर रहा है।

12.1.5 2021 में लागू होने वाले जैविक उत्पादन, नियंत्रण और व्यापार के लिए यूरोपीय संघ के नए विनियमन पर यूरोपीय आयोग को अनुवर्तन किया जा रहा है। ईयू के साथ भारत का वर्तमान समतुल्य समझौता 2025 तक है। यूरोपीय संघ 2021 में द्विपक्षीय समझौते का पुनःनिर्धारण शुरू करेगा। एपीडा ने यूरोपीय संघ के साथ द्विपक्षीय समझौते में प्रसंस्कृत जैविक उत्पादों पर भी पुनर्विचार किया।

## 12.2 मान्यता प्रदान करने संबंधी गतिविधियाँ

12.2.1 एपीडा एनपीओपी सचिवालय के रूप में कार्य कर रहा है जो आईएसओ –17011 की आवश्यकताओं का अनुपालन करता है। 13–14 दिसंबर 2019 के दौरान सचिवालय के अधिकारियों के प्रशिक्षण के साथ आईएसओ–17011 के नए संस्करण में प्रवास की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

12.2.2 एपीडा भी आईएएफ का सदस्य है और नियमित रूप से आईएएफ को सभी मान्यता संबंधी गतिविधियों पर अपनी टिप्पणी और मतदान प्रदान करता है।

12.2.3 एक अतिरिक्त प्रमाणन निकाय (सीबी) को मान्यता प्रदान की जिससे कुल 30 एनपीओपी सीबी मान्यताएं हो गई हैं।

12.2.4 मई 2019 में एनपीओपी के तहत मान्यता के लिए बिहार राज्य बीज और जैविक प्रमाणन एजेंसी, पटना के आवेदन का भौतिक मूल्यांकन और और ऑडिट किया गया।

12.2.5 एनपीओपी के अंतर्गत मान्यता के लिए सीजीओसीईआरटी, रायपुर के आवेदन का भौतिक मूल्यांकन और ऑडिट मई 2019 में किया गया।

12.2.6 तेलंगाना स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन अथॉरिटी का निगरानी ऑडिट जुलाई 2019 में किया गया था। एनपीओपी के अंतर्गत मान्यता प्राप्त करने के बाद सीबी की यह पहली निगरानी थी।

12.2.7 नौ प्रमाणन निकायों अर्थात् यूपीएसओसीए, एसएसओसीए, टीक्यूसर्टि, जीओपीसीए, आईएमओ, आरएसओसीए, बीवीआईपीएल, और इंटरटेक का नवीनीकरण ऑडिट अप्रैल–अगस्त 2019 के दौरान मूल्यांकन समिति द्वारा किया गया।

12.2.8 जुलाई और अगस्त 2019 में मूल्यांकन समिति द्वारा दो सीबी के गवाह ऑडिट आईएमओ और यूपीएसओसीए के निरीक्षकों के ऑडिट किए गए थे।

## 12.3 ट्रेसनेट के माध्यम से एनपीओपी प्रक्रियाओं की निगरानी

12.3.1 घरेलू व्यापार के लिए प्रमाणित जैविक उत्पादों के जैविक अखंडता सत्यापन के लिए नियमित रूप से एफएसएसएआई का 15 दिन में ट्रेसनेट डेटा दिया जाता है।

12.3.2 सीबी के माध्यम से ऑपरेटरों, किसानों, व्यापारियों, प्रोसेसर और आईसीएस से ट्रेसनेट हेल्प डेस्क में प्राप्त सभी प्रश्नों को प्रमाणित जैविक उत्पादों के सुगम व्यापार के लिए शीघ्रता से हल किया जाता है।

12.3.3 स्वैच्छिक आधार और सौंदर्य प्रसाधनों के लिए छह महीने के लिए कार्बनिक वस्त्रों के लिए ट्रेसबिलिटी मानकों को अधिसूचित किया गया था।

## 12.4 प्रचार गतिविधियाँ

12.4.1 त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में 27–08–2019 को जैविक खेती और विपणन पर त्रिपुरा सरकार के सहयोग से राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री, निर्यातक, सिमफीड, एमएसटीइसी आदि ने भी भाग लिया।

12.4.2 छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अधिकारियों को 27–28 अगस्त 2019 के दौरान एनपीओपी निरीक्षण और प्रमाणन आवश्यकताओं, प्रमाणन निकायों द्वारा फसल उत्पादन के लिए एनपीओपी प्रशिक्षण आयोजित किया गया था।

12.4.3 रायपुर, छत्तीसगढ़ में जैविक उत्पादों के विपणन पर 26/07/2019 को राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। राज्य में जैविक उत्पादों की असीम क्षमता।

12.4.4 पूर्वोत्तर में जैविक खाद्य उत्पादन पर आउटरीच कार्यक्रम एवं क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन आईसीसीआइ के सहयोग से 20/08/2019 को नागालैंड के कोहिमा में किया गया। आयोजन के दौरान, नागालैंड के मंत्री ने एक पहल के रूप में नागा ऑर्गेनिक ऐप लॉन्च किया।

12.4.5 एपीडा में 30/07/2019 को आयोजित जैविक वस्त्रों की ट्रेंसनिलिटी और प्रमाणीकरण पर जैविक हितधारकों की बैठक वर्तमान में विनियमन के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है।

## 13. अवसंरचना विकास

एपीडा से अनुदान के लिए पिछली योजना अवधि के दौरान स्वीकृत अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी वर्ष 2019–20 के दौरान की गई थी। परियोजनाओं की स्थिति नीचे दी गई है:

### 13.1 एचपीएमसी द्वारा हिमाचल प्रदेश में घुमारवीं में एकीकृत पैक हाउस की स्थापना

एपीडा ने हिमाचल प्रदेश के घुमारवीं में सब्जियों के लिए इंटीग्रेटेड पैक हाउस की स्थापना के लिए हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड को 4,35.08 लाख रुपये की सहायता प्रदान की। परियोजना की कुल लागत 4,98.83 लाख रु है। गतिविधि निर्माणाधीन है और जल्द ही पूरा होने की संभावना है।

### 13.2 बागवानी उत्पादन विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड, शिमला द्वारा नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में सब्जियों के लिए एकीकृत पैक हाउस की स्थापना

एपीडा ने हिमाचल प्रदेश, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में सब्जियों के लिए एकीकृत पैक हाउस स्थापित करने के लिए हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड (एचपीएमसी) को 3,53.42 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की। कुल परियोजना लागत 333. 42 लाख रुपये है। कार्य पूरा हो चुका है और केवल पैक हाउस में विभाजन से संबंधित अतिरिक्त कार्य लंबित है।

### 13.3 गुजरात के नरोडा में पैक हाउस का उन्नयन

एपीडा ने गुजरात के नरोड़ा में पैक हाउस के उन्नयन के लिए एपीएमसी को 421.30 लाख रुपये की सहायता दी। कुल परियोजना लागत 500.28 लाख रुपये है। गतिविधि पूर्ण होने वाली है।

### 13.4 एपीएमसी सूरत, गुजरात में प्रसंस्कृत खाद्य के लिए परियोजना

एपीडा ने एपीएमसी, सूरत, गुजरात में प्रसंस्कृत खाद्य परियोजना के लिए एपीएमसी, गुजरात को 1000.00 लाख रुपये की सहायता दी। परियोजना की कुल लागत 1744.00 लाख रुपये है। प्रोसेसिंग यूनिट पूरी की लेकिन दो संग्रह केंद्रों को लागू किया जाना बाकी है।

### 13.5 वैजिटेबल एंड फ्रूट प्रोमोशन काउंसिल केरलम (वीएफपीसीके) द्वारा फलों और सब्जियों के लिए वायनाड और त्रिशूर में एकीकृत पैक हाऊस की स्थापना

एपीडा ने फल और सब्जियों के लिए वायनाड और त्रिशूर में एकीकृत पैक हाउस की स्थापना के लिए वेजिटेबल एंड फ्रूट प्रमोशन काउंसिल केरल को 4,30.92 लाख रुपये की सहायता प्रदान की। कुल परियोजना 535.14 लाख रुपये की है। वायनाड में कार्य पूरा हो गया है और एपीडा प्रमाणन के लिए आवेदन किया है और त्रिशूर में कार्य प्रगति पर है।

## 13.6 सीएफआरडी द्वारा केरल के ग्राम एलानजी में फलों और सब्जियों के लिए कोल्ड स्टोरेज और निर्जलीकरण सुविधा की स्थापना

एपीडा ने केरल के ग्राम एलानजी में फलों और सब्जियों के लिए कोल्ड स्टोरेज और निर्जलीकरण सुविधा की स्थापना के लिए सीएफआरडी को 735.00 लाख रुपये की सहायता दी। प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है (95 प्रतिशत पूरा हो चुका है)।

## 13.7 जम्मू और कश्मीर बागवानी उत्पादन विपणन निगम द्वारा चौधरीगढ़, शोपियां, कश्मीर में सेब के लिए पैक हाउस की स्थापना।

एपीडा ने चौधरीगढ़, शोपियां, कश्मीर में सेब के लिए पैक हाउस की स्थापना के लिए जम्मू और कश्मीर बागवानी उत्पादन विपणन निगम को रु 388.00 लाख की राशि की सहायता दी। कुल परियोजना 388.00 लाख रुपये की है। गतिविधि अभी तक पूरी नहीं हुई है।

## 13.8 असम स्टेट एग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड द्वारा करीमगंज, असम में फलों और सब्जियों के लिए पैक हाउस की स्थापना

एपीडा ने असम राज्य के करीमगंज में फलों और सब्जियों के लिए पैक हाउस की स्थापना के लिए असम स्टेट एग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड को रु 800.00 लाख की राशि की सहायता प्रदान की। कुल परियोजना 1051.20 लाख रुपये की है। कार्य पूरा हो गया है।

## 13.9 मार्कफेड द्वारा ग्राम चुहारवाली, जालंधर, पंजाब में अत्याधुनिक शहद प्रसंस्करण परिसर की स्थापना

एपीडा ने पंजाब के जालंधर के गाँव चुहारवाली में अत्याधुनिक शहद प्रसंस्करण परिसर स्थापित करने के लिए मार्कफेड को रु 800.00 लाख की सहायता प्रदान की। कुल परियोजना 1,550.00 लाख रुपये की है। कार्य पूरा हो गया है।

## 13.10 नई भूमि उपयोग नीति कार्यान्वयन बोर्ड (एनआईबी) द्वारा आइजवाल, मिजोरम में एक पैक हाउस की स्थापना

आइजजवाल, मिजोरम में एक पैक हाउस की स्थापना के लिए एपीडा ने नई भूमि उपयोग नीति कार्यान्वयन बोर्ड (एनआईबी) को रु 800.00 लाख की राशि की सहायता दी। कुल परियोजना 944. 69 लाख रुपये की है। कार्य पूरा हो गया है।

# 14. गुणवत्ता विकास

## 14.1 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ

**14.1.1** एपीडा ने अपने अनुसूचित उत्पादों के नमूने और विश्लेषण के लिए 190 प्रयोगशालाओं को अधिकृत किया

**14.1.2** पूर्वोत्तर क्षेत्र ग्रेप्स पुणे में राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशाला (एनआरएल) – एनआरएल की निरंतरता और उन्नयन के लिए प्रस्ताव को संयंत्रों के उत्पादों की निगरानी के लिए शुरू किया गया, जैसे ताजा फल और सब्जियां और मूंगफली।

**14.1.3** निर्यातकों द्वारा दस इन–हाउस गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना और तीन एपीडा अधिकृत प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी।

**14.1.4 एचएसीसीपी कार्यान्वयन और प्रमाणन एजेंसियों को मान्यता**

पांच कार्यान्वयन और पांच प्रमाणन एजेंसियों को एचएसीसीपी, आईएसओ –22000, आईएसओ –95, बीआरसी और जीएपी के लिए निर्माण इकाइयों को परामर्श और प्रमाणन सेवाएं प्रदान करने के लिए मान्यता दी गई थी।

## 14.2 कीटनाशकों और एफ्लाटॉक्सिन की ऑनलाइन निगरानी

देश की आवश्यकताओं के लिए आयात को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित निर्यात प्रक्रियाओं को अपग्रेड किया गया:

क) अंगूर के निर्यात की प्रक्रिया – एग्रोकेमिकल्स के अवशेषों के नियंत्रण के लिए ताजा टेबल अंगूर के निर्यात के लिए ग्रेपनेट

ख) अनार के निर्यात की प्रक्रिया – अनार के निर्यात के लिए अनारनेट

ग) मूंगफली और मूंगफली उत्पादों के निर्यात की प्रक्रिया – एफ्लाटोक्सिन के नियंत्रण के लिए पीनट.नेट

## 14.3 निर्यात मानक और सामंजस्य

**14.3.1** इंडोनेशिया में 29 अप्रैल से 3 मई 2019 तक भोजन में समकक्षों पर कोडेक्स समिति के 13 वें सत्र में भाग लिया और मूंगफली और चावल में एफ्लेटॉक्सिन में स्थापना के स्तर को निर्धारित के लिए भारत की स्थिति का बचाव किया।

**14.3.2** मॉन्टेरी मेक्सिको में 7 से 11 अक्टूबर 2019 को आयोजित ताजा फलों और सब्जियों पर कोडेक्स समिति के 21 वें सत्र में भाग लिया। सत्र के दौरान चरण 8 में वेयर पोटैटो स्टैंडर्ड को अपनाया गया था।

**14.3.3** भारत गुलाबी प्याज का प्रमुख निर्यातक होने के कारण, ताजा फलों और सब्जी समीति में भारत के हित की सुरक्षा के लिए इरान द्वारा शुरू एपीडा प्याज और शैलॉट मानक की सह अध्यक्षता की और ताजा फलों और सब्जियों पर कोडेक्स समीति के 21वें सत्र के दौरान चर्चा के लिए चरण 4 पर संशोधित मापदण्ड प्रस्तुत किया। भारत की सभी चिंताओं का ध्यान रखा गया और संशोधित मानक को शामिल किया गया।

**14.3.4** इंडोनेशिया में निर्यात प्रमाणीकरण के लिए इंडोनेशियाई अधिकारियों से 34 एपीडा अधिकृत खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्वीकृति प्राप्त की।

**14.3.5** एनएबीसीबी–क्यूसीआई द्वारा आयोजित गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस प्रशिक्षण पर सार्क देशों के प्रतिभागियों को एपीडा की पहल और अगस्त 2019 में एफएसएसएआई द्वारा आयोजित भूटान और नेपाल सरकार के अधिकारियों को कोडेक्स मानक स्थापित करने के लिए नए कार्य प्रस्तावों के विकास के लिए प्रस्तुत किया।

**14.3.6** सितंबर 2019 में गोवा में आयोजित एशिया के लिए एफएओ/डबल्युएचओ समन्वय समीति के 21वें सत्र के दौरान एशियाई देशों के विचारों को बढावा देने के लिए एपीडा ने भागीदारी की और प्रतिनिधित्व किया। एपीडा सीसी–एशिया समीति में सीसीएफएफवी के लिए क्षेत्रीय समन्वयक है।

## 14.4 अलर्ट की निगरानी, एमओएफपीआई समीतियों का योगदान, जीएपी और खाद्य सुरक्षा मानदण्ड

**14.4.1** रेपिड अलर्ट को कम करने के लिए निर्यातकों को सलाह देने के लिए नमूनों के नियंत्रण का पुनःविश्लेषण करने के लिए संबंधित प्रयोगशालाओं और एनआरएल को सूचना के वितरण सहित 35 त्वरित अलर्ट की निगरानी की।

**14.4.2** क्यूसीआई द्वारा इंडिया जीएपी मानकों के विकास के संबंध में अच्छी कृषि कार्यपद्धतियों पर राष्ट्रीय तकनीकी कार्य समूहों को योगदान दिया।

**14.4.3** भोजन परीक्षण प्रयोगशालाओं को स्थापित/अपग्रेड करने के लिए एमओएफपीआई तकनीकी जांच समीतियों और परियोजना अनुमोदन समीतियों को योगदान दिया। असक्षम क्षेत्रों से एमओएफपीआई को भोजन परीक्षण प्रयोगशालाओं को स्थापित करने के लिए आवेदनों को प्राप्त किया।

## 14.5 क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण

**14.5.1** विश्वसनीयता और प्रमाणन को सुनिश्चित करने के लिए एनआरएल के माध्यम से नमूनों, विश्लेषण और ग्रेडिंग की नवीनतम विधियों पर अधिकृत प्रयोगशालाओं को प्रशिक्षण दिया।

**14.5.2** प्रयोगशालाओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए कीटनाशकों और एफलेटॉक्सिन के अवशेषों के लिए एनआरएल के माध्यम से अधिकृत प्रयोगशालाओं को सक्षम जांच प्रदान की।

# 15. अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय आयोजना में भागीदारी

## 15.1 अंतर्राष्ट्रीय आयोजन

### 15.1.1 फूड एंड होटल यांगून, म्यांमार, 5–7 जून 2019

एपीडा ने 108 वर्गमीटर का क्षेत्रफल लेकर 5–7 जून 2019 को खाद्य और होटल यांगून, म्यांमार में भाग लिया। श्री प्रशांत वागमारे, सहायक महाप्रबंधक एपीडा ने कार्यक्रम में भाग लिया। 8 निर्यातकों ने भारतीय पैविलियन में अपने उत्पादों अर्थात दूध और दूध से बने उत्पाद, नमकीन, अनाज की तैयारी, तैयार अचार और चटनी आदि का प्रदर्शन किया।

### 15.1.2 ग्रीष्मकालीन फैंसी खाद्य कार्यक्रम, न्यूयॉर्क, यूएसए, 23– 25 जून, 2019

एपीडा ने समर फैन्सी फूड कार्यक्रम न्यूयॉर्क, यूएसए–25 जून, 2019 में भाग लिया और 6 स्टॉल निर्यातकों के लिए और एक एपीडा पैविलियन के लिए थे। श्री आर के मंडल, उप–महाप्रबंधक एपीडा ने कार्यक्रम में भाग लिया। एपीडा के पैवेलियन के अंतर्गत निर्यातकों ने अपने उत्पादों, अर्थात सूरजमुखी के बीज, तिल के बीज, मिठाई और नमकीन, शहद, अचार, जैम, जेली, सॉस और चटनी, नारियल का दूध आदि का प्रदर्शन किया।

### 15.1.3 84 वें थेसालोनिकी अंतर्राष्ट्रीय मेला, थेसालोनिकी (ग्रीस), 7–15 सितंबर, 2019

एपीडा ने 7–15 सितंबर, 2019 में थेसालोनिकी (ग्रीस) ग्रीस में आयोजित 84वें थेसालोनिकी अंतर्राष्ट्रीय मेले में भाग लिया। भारत पैविलियन का उद्घाटन ग्रीस के माननीय प्रधानमंत्री और भारत के वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री माननीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संयुक्त रूप से किया। श्री पबन कुमार बोरठाकुर, अध्यक्ष, एपीडा ने इस और श्री मान प्रकाश विजय, सहायक महाप्रबंधक, एपीडा ने आयोजन में भाग लिया।

एपीडा ने आयोजन के दौरान विभिन्न कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का संवर्धन किया। भारतीय कीवी, वाइन, बासमती चावल बिरयानी में (शाकाहारी और मांसाहारी), भारती की मसाला चाय, नमकीन और मिठाइ एवं मक्की के (स्वीट कॉर्न) आदि का नमूना और चखने के अभियान के माध्यम से व्यापक किया, जिसकी अआगंतुको द्वारा सराहना की गई। खाने के लिए तैयार भारतीय उत्पादों की एक श्रृंखला, बासमती चावल, चाय, मसाले, जैविक और गैर–जैविक उत्पादों को एपीडा पैविलियन पर प्रदर्शन और प्रचार के लिए रखा गया था।

### 15.1.4 फाइन फूड ऑस्ट्रेलिया सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, 9–12 सितंबर, 2019

एपीडा ने 9 –12 सितंबर, 2019 को सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित फाइन फूड ऑस्ट्रेलिया में 54 वर्गमीटर का क्षेत्र लेकर भाग लिया। श्री नागपाल लोहकरे, सहायक महाप्रबंधक, एपीडा ने कार्यक्रम

में भाग लिया। छह नई स्थापित कंपनियों ने व्यापार कार्यक्रम में भाग लिया और अपने उत्पादों को विशेष रूप से निर्जलित सब्जियां (जैसे प्याज, लहसुन), बासमती और गैर–बासमती चावल, थर्मल रूप से प्रोसेस की गई सब्जियों, खाने के लिए तैयार वस्तुओं, जैविक प्रमाणित प्राकृतिक जड़ी–बूटियों/मसालों/फूलों, अमरनाथ के बीज, फ्लैक्स सीड्स, तिल के बीज, साइलियम बीज और भूसी, सोयाबीन, दाल, अनाज आदि को शामिल किया। भारत के महावाणिज्य दूत, महावाणिज्य दूतावास, सिडनी ने एपीडा की पहल को फाइन फूड ऑस्ट्रेलिया 2019 में अपनी दौरे के दौरान काफी सराहा।

### 15.1.5 अनुगा क्लोन, जर्मनी, 5–9 अक्टूबर, 2019

एपीडा ने 504 वर्गमीटर के क्षेत्र में 5–9 अक्टूबर, 2019 को जर्मनी के अनुगा क्लोन में भाग लिया। भारतीय पैविलियन का उद्घाटन माननीय उद्योग मंत्री, श्री तुम्के बागरा, अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। मंत्री का प्रतिनिधिमंडल उत्तर पूर्वी राज्यों के संबंधित अधिकारियों के साथ था।

श्री यू के वत्स महाप्रबंधक और एपीडा के उप महाप्रबंधक श्री आर रवींद्र एपीडा ने कार्यक्रम में भाग लिया। 30 निर्यातकों ने भाग लिया और अपने उत्पादों को भारतीय मंडप में प्रदर्शित किया जैसे भारतीय चावल, हलवाई की दुकान, खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ, सरसों का तेल, रिफाइंड तेल, साबुत गेहूं का आटा, अचार, मुरब्बा, नमकीन, माउथ फ्रेशनर, ऑर्गेनिक दलहन, जैविक मसाले, ऑर्गेनिक चाय, ऑर्गेनिक मिठास, ऑर्गेनिक घी ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट, ऑर्गेनिक फ्लेवर, ऑर्गेनिक अनाज, फ्रोजन फूड्स, जैम, जेली आदि।

### 15.1.6 चीन अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात, शंघाई, चीन 5 – 10 नवंबर, 2019

एपीडा ने चीन अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात, शंघाई, चीन में 5 –10 नवंबर, 2019 को 100 वर्गमीटर क्षेत्र में भाग लिया। श्री सुधांशु, सचिव और श्री सुरेंदर पाल, सहायक महाप्रबंधक, एपीडा ने कार्यक्रम में भाग लिया। एपीडा ने देश के पैविलियन और एपीडा क्षेत्र में वेट सैंपलिंग का आयोजन किया, जिसमें शाकाहारी और मांसाहारी शामिल था। आगंतुकों के लिए बिरयानी, दाल मखनी, समोसा, कश्मीरी कहवा, कीवी वाइन, सुल्ला वाइन आदि को प्रस्तुत किया गया।

### 15.1.7 विश्व खाद्य कजाकिस्तान, 6–8 नवंबर 2019

एपीडा ने 6 –8 नवंबर 2019 को आयोजित वर्ल्ड फूड कजाकिस्तान में 120 वर्गमीटर का क्षेत्र लेकर भाग लिया। श्री बिद्युत बरुआ, सहायक महाप्रबंधक, एपीडा ने आयोजन में भाग लिया। 6 निर्यातकों ने एपीडा पैविलियन के अंतर्गत भाग लिया और अपने उत्पादों जैसे चाय, प्रसंस्कृत भोजन और मीट जैसे पशु उत्पादों का प्रदर्शन किया। एपीडा पैविलियन को खूबसूरती से सजाया गया था और विभिन्न उत्पादों जैसे प्रसंस्कृत भोजन, जूस, चावल के नमूने आदि प्रदर्शित किए गए। चावल, सब्जी और मांसाहारी बिरयानी को बढ़ावा देने के लिए एपीडा के पैविलियन में आए आगंतुकों को बिरयानी परोसी गई।

### 15.1.8 बायोफैच न्युरेनबर्ग जर्मनी 12–15 फरवरी, 2020

एपीडा ने 600 वर्गमीटर का क्षेत्र लेकर 12 से 15 फरवरी 2020 तक जर्मनी के न्युरेनबर्ग में बायोफैच 2020 में भाग लिया। श्रीमती सस्वती बोस, उप–महाप्रबंधक और श्रीमती समिधा गुप्ता, उप–महाप्रबंधक एपीडा ने कार्यक्रम में भाग लिया। स्पाइस बोर्ड और उनके 4 निर्यातकों के साथ 34 सह–प्रदर्शकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और अपने विभिन्न उत्पादों को अपने–अपने स्टालों पर प्रदर्शित किया।

एक भारतीय शेफ द्वारा शाकाहारी और मांसाहरी बिरयानी और भारतीय व्यंजनों प्रदर्शन दिन में दो बार किया गया। भारत के व्यंजनों का प्रदर्शन आलू टिक्की, पीन पेनकेक्स, मिक्स सब्जियां, सब्जियां का पुलाव, पकोड़े आलू और प्यार, पेनकेक्स थे।

### 15.1.9 गल्फुड 2019, दुबई, यूएई, 16–20 फरवरी, 2020

एपीडा ने दुबई, यूएई में आयोजित गल्फूड में 16–20 फरवरी, 2020 से 768 वर्गमीटर का क्षेत्र लेकर भाग लिया। श्री एस. एस. नैयर, महाप्रबंधक और श्रीमती रेखा मेहता, सहायक, महाप्रबंधक, एपीडा ने कार्यक्रम में भाग लिया। 100 निर्यातकों ने भाग लिया और भारतीय पैविलियन में अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। भारतीय बासमती चावल को बढ़ावा देने के लिए, आयोजन के दौरान बिरयानी का नमूना प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही नमकी (स्नैक्स), खाद्य, तैयार खाद्य पदार्थ कन्फेक्शनरी, माउथ फ्रेशनर और तत्काल फल पेय आदि के लिए अपने–अपने स्टालों में व्यक्तिगत निर्यातकों द्वारा नमूना भी लिया गया था।

## 15.2 राष्ट्रीय आयोजन

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान एपीडा ने कृषि उत्पादों के निर्यात प्रोत्साहन के लिए और साथ ही सफल भागीदारी के लिए अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया और निम्नलिखित आयोजनों में भाग लिया/ आयोजित किया/ समर्थन किया।

### 15.2.1 उत्तरी और मध्य क्षेत्र

- **बायोफैच इंडिया 2019, 7–9 नवंबर, 2019 को ग्रेटर नोएडा**

  एपीडा ने ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट लिमिटेड (आईईएमएल) में 7 से 9 नवंबर 2019 से आयोजित लक्षित दर्शकों के साथ जुडनें और नेटवर्क के लिए भारत में जैविक मंच बायोफैंच इंडिया के 11वें संस्करण का सह–आयोजन किया। इस कार्यक्रम में खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, मसाले, प्राकृतिक देखभाल, स्वस्थ्य उत्पाद और वस्त्र आदि जैसे विभिन्न उत्पादों को लम्बद टेबल कवर करते हुए आकर्षण के साथ प्रदर्शित किया। इस कार्यक्रम के दौरान, कुल 7147 व्यापार आगंतुकों और उपभोक्ताओं और 200 से अध्कि ब्रांडों ने 196 प्रदर्शकों और 71 विदेशी क्रेताओं सहित 25 देशों ने भाग लिया।

- **इंडस फूड मेला, 8–9 जनवरी, 2020 ग्रेटर नोएडा**

  एपीडा ने इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा में 8 से 9 जनवरी, 2020 तक ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इंडस फूड में अपनी भागीदारी का आयोजन किया, जिसमें सदस्य निर्यातकों के माध्यम से निर्यात–योग्य उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए स्टाल लगाए गए।

- **आहार 2020, 3–7 मार्च, 2020, प्रगति मैदान, दिल्ली**

  आईटीपीओ द्वारा प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 3 से 7 मार्च 2020 तक आहार का आयोजन किया गया, जो कि भारत में आयोजित महत्वपूर्ण खाद्य मेलों में से एक है और एपीडा इस आयोजन के सह–आयोजक है।

  एपीडा ने लगभग 2200 वर्गमीटर (लगभग) का एक क्षेत्र लिया है, और प्रसंस्कृत खाद्य, अनाज, ताजे फल और सब्जियों के 50 से अधिक निर्यातकों, जैविक क्षेत्र ने प्रदर्शनी के दौरान एपीडा बैनर के अंतर्गत भाग लिया और अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया।

## 15.2.2 पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र

- क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी ने 14.06.2019 को राष्ट्रीय रसद शिखर सम्मेलन, गुवाहाटी में भाग लिया
- क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी ने एनईडीएफआई कन्वेंशन सेंटर, गुवाहाटी में क्यूसीआई और एफआईसीसीआई द्वारा संयुक्त रूप से एफआईसीसीआई द्वारा 26/06/2019 को आयोजित गुणवत्ता पर प्रतिस्पर्धा के लिए सम्मेलन में भाग लिया।
- क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी ने 27/06/2019 को एनईडीएफआई कन्वेंशन सेंटर, गुवाहाटी में आयोजित सेमिनार, पूर्वोत्तर में आयात और निर्यात में भाग लिया जिसे सीमा शुल्क आयुक्त (एनईआर) और राष्ट्रीय सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर अकादमी (एनएसीआईएन), शिलॉग द्वारा आयोजित किया गया था।
- बंगाल राइस कॉन्क्लेव 2019– पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 23 जुलाई, 2019 को, "बंगाल राइस कॉन्क्लेव", इंडियन चैंबर ऑफ कामर्स द्वारा कृषि और कृषि विपणन विभाग, भारत सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया था। क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता ने भाग लिया और पश्चिम बंगाल राज्य से कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा और इसकी वित्तीय सहायता योजनाओं की भूमिका पर एक प्रस्तुति दी। आयोजन का मुख्य उद्देश्य विदेशी बाजारों में निर्यात के लिए खुशबूदार चावल की पश्चिम बंगाल की किस्मों को बढ़ावा देना था। क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता ने आयोजन में पश्चिम बंगाल के चावल निर्यातकों की भागीदारी को बढ़ाया है।

  क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी ने अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र (सीआईपी) और मेघालय बेसिन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एमबीडीए) द्वारा आयोजित 29/07/2019 को मेघालय के शिलांग में जैविक आलू के अवसरों और चुनौतियों पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में जैविक निर्यात पर प्रस्तुति दी।

- क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी ने गुवाहाटी में 02/08/2019 को नीति आयोग द्वारा 'भारतीय कृषि के परिवर्तन' पर उत्तर पूर्व क्षेत्रीय सम्मेलन में पूर्वात्तर क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक प्रस्तुति दी।

- 5 से 6 सितम्बर 2019 को क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता ने "उत्तरी बंगालः कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर केंद्रित सत्र के साथ एमएसएमई के लिए विकास के अवसर" पर आयोजित कनक्लेव में भाग लिया।
- क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी ने 11/09/2019 को गुवाहाटी में 'विदेश व्यापार और एग्जिम नीति' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान निर्यात पर एक प्रस्तुति दी।
- क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी ने असम सरकार द्वारा आयोजित 22 से 23 अक्टूबर 2019 को भारत–बांग्लादेश हितधारक की बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया।
- क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी ने 30/11/2019 को डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित पूर्वोत्तर क्षेत्र में त्वरित निवेश और औद्योगिक विकास पर संगोष्ठी में भाग लिया।
- क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी ने 4 से 6 दिसंबर, 2019 तक शिलॉग मेघालय के नॉर्थ ईस्ट फूड कार्यक्रम 2019 में सक्रिय रूप से भाग लिया।
- क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी ने एमएसएमई और सीओओआई, गुवाहाटी, असम द्वारा आयोजित 17 से 19 जनवरी, 2020 के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन और व्यापार मेले "स्टार्ट एंड स्टैंड अप नॉर्थईस्ट" में भाग लिया।
- क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी ने "एनईआर ग्रीन इन्नोवेटर और सामाजिक उद्यमी के विकास के लिए एनईआर" (बीएएनईआरजीआईएसई 2019–20) के विकास के लिए एनईआर" पर राष्ट्रीय सेमिनार/कार्यशाला में प्रस्तुति दी, जिसे 6 फरवरी, 2020 को मेघालय के शिलांग में एमएसएमई द्वारा आयोजित किया गया था।
- क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी ने 08/08/2019 को इम्फाल में, 28/08/2019 को कोहिमा में, 20/09/2019 को गुवाहाटी में, 03/09/2019 को इटानगर में और 06/11/2019 को दरांग, असम में प्रधानमंत्री किसान सम्पदा पर आयोजित कार्यशाला में निर्यात और एपीडा योजनाओं पर प्रस्तुती दी।
- क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी ने 13/02/2020 को डिबरुगढ़ असाम में आईसीसी के सहायोग से एमओएफपीआई द्वारा फूड टेक कनक्लेव में निर्यातकों और एपीडा योजनाओं पर प्रस्तुती दी।

### 15.2.3 दक्षिणी क्षेत्र

- एपीडा ने मदुरई में आयोजित वाइब्रेंट तमिलनाडु 2019 में अंतर्राष्ट्रीय कृषि, खाद्य उत्पाद और रसोई उपकरण एक्सपो में भाग लिया। क्षेत्रीय कार्यालय बैंगलुरु ने एपीडा की भागीदारी को समन्वित और व्यवस्थित किया। एपीडा के पांच पंजीकृत निर्यातकों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन के लिए एपीडा स्टाल में जगह प्रदान की गई। निर्यातकों से मिली प्रतिक्रिया उत्साहजनक थी। उन्होंने आम की लुग्दी, अनानास की लुग्दी और अमरूद की लुग्दी साबुदाना खाद्य और बाजरा आधारित उत्पादों के लिए क्रेताओं ने अच्छी पूछताछ की।

- 22 और 23 जून 2019 को सलेम में सीआईआई और तमिलनाडू सरकार द्वारा आयोजित किसान की आय कोव दो गुणा करने पर 2 दिवसीय प्रगतिशील कृषि सम्मेलन और प्रदर्शनी आयोजित की।
- भारत सरकार की कृषि निर्यात नीति के अंतर्गत कर्नाटक में मुख्य फसलों के लिए एक दिवसीय परामर्श कार्यशाला जिसे बागबानी विभाग द्वारा बंगलोर में 21.08.2019 को आयोजित किया गया था।
- एमएसएमई मंत्रालय द्वारा 28.08.2019 को बैंगलोर में एमएसएमई में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन।
- 30.08.2019 को नाबार्ड द्वारा नाबार्ड द्वारा आयोजित खाद्य प्रसंस्करण पर निवेशकों की बैठक।
- 15 और 16 अक्टूबर 2019 को प्रथम भारतीय सीएलएमवी (कंबोडिया लाओ, पीडीआर, म्यांमार, वियतनाम) क्रेता विक्रेता बैठक (आरएसबीएम) जिसे वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारतीय उद्योग संघ (सीआईआई) के साथ मिलकर आयोजित किया गया था।
- सीआईआई सलेम कृषि एवं खाद्य संगोष्ठी 2019– प्रथम संस्करण, 13 नवम्बर 2019, सीआईआई सलेम द्वारा आयोजित।

### 15.2.4 पश्चिमी क्षेत्र

- एपीडा ने कृषिथॉन में भाग लिया – जो एक कृषि व्यापार मेला है जिसे 21 से 25 नवम्बर 2019 के दौरान नासिक में आयोजित किया गया था। इस व्यापार मेले को भारत में कृषि के संवर्धन के लिए और भारतीय कृषि उत्पादों के लिए एक मंच के रूप में किया गया था।
- 31 अगस्त 2019 शनिवार को नोवोटेल जुहु, मुम्बई में ऑर्गेनिक फूड इंडिया कनक्लेव (ओएफआईसी 2019) का आयोजन।
- क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई ने 26 सितम्बर 2019 को अगरतला त्रिपुरा में अंतर्राष्ट्रीय खरीदार विक्रेता बैठक (आईबीएसएम) में भाग लिया।
- 20 से 22 सितंबर, 2019 को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं क्रेता–विक्रेता बैठक का आयोजन होटल द ग्रैंड बॉलरूम, रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया था। सम्मेलन का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया था। माननीय कृषि मंत्री श्री रवींद्र चौबे और माननीय मंत्री ग्रामोद्योग, डीजीएम (आरआर) ने एपीडा का प्रतिनिधित्व किया। छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य हितधारकों ने भी इस आयोजन में भाग लिया।
- 3 अक्टूबर, 2019, पुणे में कृषि निर्यात के वित्तपोषण पर सम्मेलन
- नागपुर में 24 नवंबर 2019 को 'कृषि और खाद्य प्रसंस्करण में एमएसएमई के अवसर' पर सम्मेलन
- 25 फरवरी 2020 को ग्रांड हयात मुम्बई में बीआईएल द्वारा पेरिशेबल शिप्पर फोरम 2020 बीआईएल द्वारा प्रायोजित।

# 16. एपीडा क्षेत्रीय कार्यालयों की गतिविधियाँ

## 16.1 क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी

### 16.1.1 अंतर्राष्ट्रीय क्रेता–विक्रेता बैठक (आईबीएसएम)/क्रेता विक्रेता बैठक (बीएसएम)

वर्ष 2019–2020 के दौरान, पूर्वोत्तर क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय क्रेता–विक्रेता बैठक (आईबीएसएम) और क्रेता विक्रेता बैठक (बीएसएम) का आयोजन किया गया:

| क्रम संख्या | राज्य | दिनांक |
|---|---|---|
| 1. | आईबीएसएम–इम्फाल, मणिपुर | 19–20 जून 2019 |
| 2. | आईबीएसएम–अगरतला, त्रिपुरा | 26–27 सितंबर 2019 |
| 3. | आईबीएसएम–इटानगर, अरुणाचल प्रदेश | 14–15 नवंबर 2019 |
| 4. | आईबीएसएम–गंगटोक, सिक्किम | 21–22 नवंबर 2019 |
| 5. | ऑर्गेनिक आउटरीच सह बीएसएम, कोहिमा, नागालैंड | 20 अगस्त 2019 |
| 6. | ऑर्गेनिक आउटरीच सह बीएसएम, आईजोल, मिजोरम | 30 अगस्त 2019 |
| 7. | जोवाई, मेघालय, कृषि निर्यात नीति के अंतर्गत हल्दी कलस्टर पर आउटरीच सह बीएसएम | 2 नवंबर 2019 |
| 8. | ऑर्गेनिक आउटरीच सह बीएसएम, शिलॉग, मेघालय | 29 जनवरी, 2020 |

### 16.1.2 निर्यात के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम और निवेश दौरा

क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वर्ष के दौरान निम्नलिखित क्षमता निर्माण कार्यक्रम और निवेश दौरे का आयोजन किया:

## क्षमता निर्माण कार्यक्रम

| क्रम संख्या | दिनांक | स्थान | गतिविधि |
|---|---|---|---|
| 1. | 23.24/04/2019 | भारतीय खाद्य प्रोद्योगिकी प्रसंस्करण संस्थान (आईआईएफपीटी), गुवाहाटी | राज्य सरकार के अनुरोध पर नागालैंड के दस उद्यमियों/निर्यातकों को आलू प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन पर प्रशिक्षित किया। |
| 2. | 27/06/2019 | कोहिमा, नागलालैंड | उद्योग और वाणिज्य विभाग, नागालैंड सरकार द्वारा एपीडा के साथ साझेदारी में आयोजित राज्य के अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम। |
| 3. | जून 2019 | अरुणाचल प्रदेश | मूल्य वर्धन और निर्यात बाजार लिंकेज पर प्रशिक्षण<br>क) पासीघाट, पूर्वी सियांग जिला (19–20 जून 2019)<br>ख) ऐलो, पश्चिम सियांग जिला (21–22 जून 2019)<br>ग) तेजू, लोहित जिला (17–18 जून 2019)<br>ख) ईटानगर और पापुम पारे जिला (24–25 जून) |
| 4. | 16/07/2019 | ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश | एपीडा और एफआईईओ द्वारा निर्यात जागरूकता प्रशिक्षण दिया |
| 5. | 31/07/2019 | कोहिमा, नागालैंड | एपीडा और एफआईईओ द्वारा निर्यात जागरूकता प्रशिक्षण दिया |
| 6. | 29/08/2019 | शिलांग, मेघालय | एपीडा और एफआईईओ द्वारा निर्यात जागरूकता प्रशिक्षण दिया |
| 7. | 30/01/2020 | अगरतला, त्रिपुरा | एपीडा और पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा निर्यात पर आउटरीच कम जागरूकता कार्यक्रम |
| 8. | 01/02/2020 | उदयपुर, त्रिपुरा | एपीडा और पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा निर्यात पर आउटरीच और जागरुकता कार्यक्रम |
| 9. | 11/02/2020 | आइजोल, मिजोरम | एपीडा और इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा निर्यात पर आउटरीच और जागरुकता कार्यक्रम |
| 10. | 13/02/2020 | लुंगलेई, मिजोरम | एपीडा और इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा निर्यात पर आउटरीच और जागरुकता कार्यक्रम |
| 11. | 14/02/2020 | आइजोल, मिजोरम | एपीडा और एफआईईओ द्वारा निर्यात जागरूकता प्रशिक्षण |
| 12. | 26/02/2020 | तुरा, मेघालय | एपीडा और आईसीसी द्वारा निर्यात पर आउटरीच और जागरुकता कार्यक्रम |
| 13. | 26/02/2020 | गुवाहाटी, असम | एपीडा और फिनर द्वारा निर्यात पर आउटरीच और जागरुकता कार्यक्रम |
| 14. | 5/03/2020 | गंगटोक, सिक्किम | एपीडा और पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा निर्यात पर आउटरीच और जागरुकता कार्यक्रम |
| 15. | 6/03/2020 | डिमापुर, नागालैंड | एपीडा और फिनर द्वारा निर्यात पर आउटरीच और जागरुकता कार्यक्रम। |
| 16. | 6/03/2020 | जोरेथांग, सिक्किम | एपीडा और पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा निर्यात पर आउटरीच और जागरुकता कार्यक्रम |
| 17. | 13/03/2020 | गुवाहाटी, असम | एपीडा और एफआईईओ द्वारा निर्यात पर जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम |

**राज्य सरकार के अधिकारियों साथ निर्यातकों की निवेश दौरा**

क्षमता निर्माण अभ्यास के भाग के रूप में राज्य सरकार के अधिकारियों और निर्यातकों को निर्यात पैक हाउस, विकिरण इकाइयां, वाष्प ताप उपचार संयंत्र, महाराष्ट्र में सीपीसी और प्लांट संगरोध ले जाया गया था, ताकि इन निर्यात केंद्रों से निर्यात होने के बारे में प्रत्यक्ष रूप से अनुभव हो सके।

| क्रम संख्या | दिनांक | निर्यातक/राज्य |
|---|---|---|
| 1. | 27/05/19 से 31/05/2019 | नागालैंड |
| 2. | 24/06/2019 से 28/06/2019 | मेघालय |
| 3. | 29/01/2020 से 31/01/2020 | असम |
| 4. | 29/01/2020 से 31/01/2020 | मणीपुर |

## 16.1.3 राज्य जैविक प्रमाणन एजेंसी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

जैविक खेती को प्रोत्साहित करने और राज्य सरकार की सेवाओं का उपयोग करने के लिए, एपीडा ने असम और मेघालय के सरकारी अधिकारियों ने अपनी प्रमाणन एजेंसियां बनाने के लिए 6 से 7 जून, 2019 तक गुवाहाटी, असम में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था।

## 16.1.4 असम पशुधन और कुक्कुट निगम (एएलपीसीओ) के साथ मिलकर सुअर और सुअर उत्पादों के निर्यात के लिए सूअर पालन के लिए जागरूकता कार्यक्रम

उत्तर पूर्व क्षेत्र से सुअर और सुअर उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, असम पशुधन और कुक्कुट निगम के सहयोग से आरओ गुवाहाटी ने निम्नलिखित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए:

| क्रम संख्या | दिनांक | स्थान |
|---|---|---|
| 1. | 6/05/2019 | दिमोरिया, कामरूप, असम |
| 2. | 8/05/2019 | नाजिरा, सिबसागर, असम |
| 3. | 9/05/2019 | खेलुआ, सिबसागर, असम |
| 4. | 10/07/2019 | चायगाँव, कामरूप, असम |
| 5. | 28/09/2019 | ढेकोरगोराह, जोरहाट, असम |
| 6. | 30/09/2019 | उजेनीमाजुली, माजुली, असम |
| 7. | 23/11/2019 | बलिजन, गोलपारा, असम |
| 8. | 24/11/2019 | दुधनोई, गोलपारा, असम |
| 9. | 7/01/2020 | मांजा, करबियांगलांग, असम |
| 10. | 8/01/2020 | बोकाजान, करबियांगलांग, असम |
| 11. | 27/01/2020 | सरूपथार, गोलाघाट, असम |
| 12 | 28/01/2020 | बोकाखाट, गोलाघाट, असम |
| 13. | 29/01/2020 | धेमाजी, असम |
| 14. | 30/01/2020 | बोगिनाडी, लखीमपुर, असम |
| 15. | 31/01/2020 | नारायणपुर, लखीमपुर, असम |

### 16.1.5 निर्यात के लिए गुणवत्ता की आवश्यकताओं पर किसान प्रशिक्षण

वर्ष के दौरान निर्यात के लिए गुणवत्ता आवश्यकताओं पर किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए:

| क्रम संख्या | दिनांक | स्थान |
|---|---|---|
| 1. | 10/05/2019 | मोंगोल्दोई, असम |
| 2. | 27/05/2019 | अमलीघाट, मोरीगांव, असम |
| 3. | 22/06/2019 | बोको, कामरूप, असम |
| 4. | 05/07/2019 | कोलापानी, जोरहाट, असम |
| 5. | 09/07/2019 | बारपेटा, असम |
| 6. | 07/08/2019 | बोंगाईगाँव, असम |
| 7. | 09/08/2019 | डिबरूगढ़, असम |
| 8. | 23/10/2019 | गोलाघाट, असम। |
| 9. | 31/10/2019 | धुबरी, असम |
| 10. | 19/11/2019 | कार्बी आंगलोंग, असम |
| 11. | 28/12/2019 | धेमाजी, असम |

### 16.1.6 एपीडा की वित्तीय सहायता योजना पर हितधारकों से परामर्श बैठक

क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी, ने निर्यातकों, उद्योग मंडलों/व्यापार संघों/अन्य हितधारकों के साथ एक परामर्श बैठक का आयोजन किया, जिसमें 12 दिसंबर, 2019 को वर्ष 2020 से आगे की मौजूदा वित्तीय सहायता योजन और योजनाओं पर सुझाव मांगे गए।

8 नवंबर 2019 को गुवाहाटी में निर्यातकों, व्यापार संघों/चैम्बरों के साथ एपीडा की योजना के मूल्यांकन पर भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी), दिल्ली के साथ चर्चा का एक और दौर आयोजित किया गया।

## 16.2 क्षेत्रीय कार्यालय – हैदराबाद

### 16.2.1 कृषि निर्यात नीति (एईईपी) के कार्यान्वयन के लिए कार्यशालाएं/बीएसएम/प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष 2019–20 के दौरान, क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद ने, कृषि निर्यात नीति को कार्यान्वित करने के लिए, कार्यशालाओं/बीएसएम/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया:

**16.2.1.1** पहचान किए गए क्लस्टर जिला महबूबनगर में 15 अक्टूबर, 2019 को आमों पर कार्यशाला और बीएसएम।

**16.2.1.2** पहचाने गए क्लस्टर क्षेत्र कडप्पा में 19 अक्टूबर 2019 को केले पर बीएसएम।

**16.2.1.3** पहचान किए गए कलस्टर क्षेत्र महबूबबाद में 16 दिसंबर, 2019 को आम पर कार्यशाला सह बीएसएम।

**16.2.1.4** संगारेड्डी में पहचान किए गए क्लस्टर क्षेत्र में 18 दिसंबर, 2019 को आम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।

**16.2.1.5** तिरुपति में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता नियंत्रण पर 15 फरवरी 2020 प्रशिक्षण कार्यक्रम। सीएफटीआरआई, एनपीपीओ, एफएसएसएआई और मैसर्स सत्गुरु प्रबंधन कंसल्टेंट्स के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था।

**16.2.1.6** एईपी के अंतर्गत एफआईजी, एफपीओ, एसएचजी आम के चिन्हित समूहों में अर्थात महबूबनगर, संगारेड्डी, महबराबाद, वारंगल (शहरी), कडप्पा, तिरुपति में किसानों के लिए जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम।

**16.2.1.7** अनंतपुर जिले में ताड़ीपर्ती केले के लिए क्लस्टर क्षेत्र से, लगभग 6000 मेट्रिक टन केले की जी–9 किस्म का निर्यात किया गया था। यह एफपीओ, एफपीसी और व्यक्तिगत किसानों के निर्यातकों द्वारा खरीदा गया था। उक्त मात्रा को विभिन्न देशों अर्थात मध्य पूर्व, ईरान आदि के लिए समुद्री शिपमेंट के लिए रेल रीफर कंटेनरों द्वारा उठाया गया है।

**16.2.1.8** द्वितीय प्रसंस्करण के लिए कच्चे उत्पाद की सोर्सिंग के लिए निर्यातकों के साथ सीधे सम्पर्क के लिए उनके पंजीकृत एफपीओ/एफपीसी को एपीडा किसान कनेक्ट पोर्टल से जोड़ने के लिए नाबाड्र के साथ समन्वित किया गया।

**16.2.1.9** राज्य बागवानी विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा तिरूपति में आयोजित आमों के निर्यात के लिए क्रेत–विक्रेता बैठक में भाग लिया और आंध्र प्रदेश से निर्या योग्य उत्पाद प्राप्त करने के लिए किसानों, एफपीओ के साथ भागीदारी औरबातचीत के लिए ताजे फलों और सब्जियों के संभावित निर्याताकें को एकत्रित किया।

### 16.2.2 प्रतिनिधि मंडल

16.2.2.1 मलेशिया सरकार द्वारा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्थित मीट प्रसंस्करण प्लांट में मलेशियाई खाद्य सुरक्षा अनुपालन को सत्यापित करने के लिए मलेशियाई प्रतिनिधिमंडल की यात्रा का समन्वय किया गया।

16.2.2.2 तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित मीट प्रसंस्करण प्लांट में फिलीपींस फूड सेफ्टी अनुपालन को सत्यापित करने के लिए फिलीपींस प्रतिनिधिमंडल की यात्रा को समन्वित किया।

16.2.2.3 दक्षिण कोरिया में ताजे आमों के निर्यात के लिए ऑनसाइट प्री–क्लीयरेंस कार्यक्रम के अंतर्गत 15 अप्रैल से 15 जून, 2019 तक नुजविद में एपी एग्रोस पैक हाउस और वीएचटी सुविधा में तैनात दक्षिण कोरियाई प्लांट संगरोध निरीक्षक दौरा को समन्वित किया।

### 16.2.3 अन्य गतिविधियाँ

16.2.3.1 एपीडा ने यूरोपीय संघ और अन्य देशों को ताजे फल और सब्जियों के निर्यात के लिए तेलंगाना में 6 पैक हाउस को मान्यता दी। छह पैक हाउसों में से 2 पैक हाउसों को एपीडा द्वारा इसकी एफएएस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई है।

16.2.3.2 एपीडा ने यूरोपीय संघ और अन्य देशों को ताजा फल और सब्जियों के निर्यात के लिए आंध्र प्रदेश में छह पैक हाउसों को मान्यता दी। इन 6 पैकहाउस में से 2 पैक हाउस सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध हैं और सामान्य अवसंरचना की योजनाओं के अंतर्गत एपीडा द्वारा पूरी तरह से सहायता प्रदान की जाती है।

16.2.3.3 **6 से 7 जनवरी 2020 को वाणिज्य पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) की दौरा–** संसदीय स्थायी समिति के सदस्य (30 सदस्य) 6 और 7 जनवरी को विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) गए। कृषि और समुद्री उत्पाद, वृक्षारोपण फसलों, हल्दी और कॉयर के निर्यात के विषय पर अध्यक्ष, एपीडा के साथ एपीडा के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठकों में भाग लिया।

## 16.3 क्षेत्रीय कार्यालय – बैंगलुरू

### 16.3.1 क्रेता विक्रेता सम्मेलन/प्रशिक्षण कार्यक्रम/बैठकें

वर्ष 2019–20 के दौरान, क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु ने भाग लिया और निम्नलिखित कार्यक्रमों में प्रस्तुति दी

- 04 अप्रैल 2019 को रामनगर में कर्नाटक राज्य आम विकास निगम द्वारा आम क्रेता विक्रेता बैठक आयोजित की गई।
- कर्नाटक एफपीओ क्रेता विक्रेता बैठक 26 से 27 जून 2019 को बैंगलोर में मेसर्स फोरटेल बिजनेस सॉल्यूशंस द्वारा संयुक्त रूप से बागवानी विभाग के साथ आयोजित किया गया था। बीएसएम में 92 एफपीओ के सीईओ और बैंकों, निर्यातकों, किसानों, कृषि कंपनियों आदि के अधिकारियों ने भाग लिया।
- 23.10.2019 को केएपीपीईसी और वीटीपीसी द्वारा आयोजित कृषि निर्यात और निर्यात आवश्यकताओं में संभावनाओं और अवसर पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- राज्य कृषि मूल्य बोर्ड, केरल सरकार द्वारा 30.11.2019 को एफपीओ के कामकाज पर परामर्श कार्यशाला, एसएएमटीआई, त्रिवेंद्रम में आयोजित की गई।
- एमएसएमई बीएसएम और आईसीसी एमएसएमई क्रेता विक्रेता फोरम, शिखर सम्मेलन 17 जनवरी 2020 को होटल एवेन्यू सेंट्रे– कोचीन में केरल सरकार द्वारा आयोजित किया गया।
- जिला हब का विकास – तंजावुर और नागपट्टिनम में डीजीएफटी, चेन्नई द्वारा क्रमशः 27 और 30 जनवरी, 2020 को कार्यक्रम का आयोजन।
- 06.03.2020 को कर्नाटक के विभिन्न जिलों से सीओई के लिए बैंगलोर में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा कार्यशाला आयोजित।
- दिनांक 17.02.2020 को त्रिवेन्द्रम में केएसआईई अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया।
- 27.02.2020 को नल्लामुथू गौडर महालिंगम कॉलेज, पोलाची, तमिलनाडू के 50 छात्रों द्वारा एक्सोजर विजिट का आयोजन किया गया, जिसमें एपीडा की भूमि, पहल और योजनाओं पर वितृत प्रस्तुति दी गई।
- 27.02.2020 को नालामुथु गौडर महालिंगम कॉलेज, पोलाची, तमिलनाडु से लेकर आरओ बेंगलुरु कार्यालय तक 50 छात्रों द्वारा संगठित प्रदर्शन यात्रा, जिसमें, एपीडा की भूमिका, पहल और योजनाओं पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई थी।

**07 और 8 जनवरी, 2020 को बंगलौर और कोच्चि में वाणिज्य से संबंधित विभागीय संसदीय स्थायी समिति की यात्रा –** वाणिज्य और संबंधित विभागीय संसदीय स्थायी समिति के सदस्यों (31 सदस्य) ने 7 और 8 जनवरी, 2020 को बैंगलोर और कोच्चि का दौरा किया। कृषि और समुद्री उत्पादों वृक्षारोपण फसलें, हल्दी और कॉयर के निर्यात के विषय पर बैठक का आयोजन किया गया।

अध्यक्ष, एपीडा के साथ साथ एपीडा के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठकों में भाग लिया।

- कर्नाटक क्षेत्र से बागवानी फसल के मूल्य संवर्धन और प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए निर्यात वृद्धि की संभावनाओं का पता लगाने के लिए 12-02-2020 **को बैंगलोर में श्री मनोज राजन, आईएएस, विशेष सचिव–खाद्य प्रसंस्करण के साथ बैठक**।
- **एपीडा कार्यालय में 16 अगस्त 2019 को निर्यातकों के साथ बातचीत बैठक–**डॉ. नितिन सेठ, प्रोफेसर, सेंटर फॉर ट्रेड फैसिलिटेशन एंड लॉजिस्टिक्स (सीटीएफएल), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, नई दिल्ली ने 16.08.2019 को एपीडा बैंगलोर कार्यालय का दौरा किया और सेक्टर विशिष्ट लॉजिस्टिक्स से संबंधित मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए निर्यातकों के साथ एक संवादात्मक बैठक की। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र, लॉजिस्टिक्स (परिवहन/वेयरहाउसिंग/पैकेजिंग/सीमा शुल्क और प्रलेखन) के तत्वों की पहचान जो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में विशिष्ट हस्तक्षेपों और ध्यान आकर्षण और केपीआई के व्यापक प्रदर्शन की आवश्यकता है।
- **एपीडा की वित्तीय सहायता योजनाओं के लिए आईआईएफटी द्वारा मूल्यांकन अध्ययन, बैंगलोर में 04-12-2019 को किया गया–** हितधारकों की एक बैठक एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय बैंगलोर में 04.12.2019 को आयोजित की गई थी। संवादात्मक बैठक में लगभग 25 निर्यातकों ने भाग लिया। डॉ.जोशी और डॉ. पूजा लखनपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, आईआईएफटी, नई दिल्ली ने निर्यातकों के साथ बातचीत की और निर्यातकों से एपीडा की एफएएस योजनाओं पर अध्ययन में सर्वे/प्रश्नावली को पूर्ण करने का अनुरोध किया।

### 16.3.2 प्रतिनिधि मण्डल

- क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु ने 14.06.2019 को मलौर में मैसर्स इनोवा एग्री बायो पार्क लि. की विकिरण सुविधा के यूएसडीए–एपीएचआईएस टीम के दौरे को समन्वित किया।
- श्री जे. कोटेश्वर राव, एसोसिएट फैकल्टी मेंबर, एनआई–एमएसएमई, हैदराबाद ने 14 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ 04.11.2019 को क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु का दौरा किया, जिसमें एपीडा की गतिविधियों और निर्यात प्रोत्साहन और वित्तीय विकास योजनाओं की भूमिका पर एक प्रस्तुति दी गई।

## 16.3.3 कृषि निर्यात नीति का कार्यान्वयन

### 16.3.3.1 कर्नाटक–एईपी गतिविधियां

| बैठक की तिथि/स्थान | जिसके द्वारा आयोजित की गई | विषय |
|---|---|---|
| 13.08.2019 को कृषि और बागवानी विभाग, सचिव की अध्यक्षता में, बैंगलोर में। | कृषि और बागबानी विभाग, कर्नाटक सरकार | भारत सरकार की कृषि निर्यात नीति के अनुरूप कृषि और बागवानी उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य कार्य योजना और रणनीति पर चर्चा और अंतिम रूप देने के लिए |
| 22.10.2019 को कृषि और बागवानी विभाग, सचिव, बैंगलोर में, की अध्यक्षता। | कृषि और बागबानी विभाग, कर्नाटक सरकार | 08–8–2019 को आयोजित बैठक के दौरान हुई चर्चा के आधार पर। तैयार की गई राज्य कार्य योजना और रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए, |
| 24.10.2019 को चल्लाकेरे, चित्रदुर्ग | कृषि और बागबानी विभाग, कर्नाटक, एपीडा, डीजीएफटी, वीटीपीसी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित | पहचाने हुए अनार क्लस्टर से अनार के निर्यात पर क्लस्टर आधारित कार्यशाला। |
| 5 से 6 दिसम्बर 2019 को बैंगलुरू में | विशेष सचिव, खादय प्रसंस्करण | कर्नाटक में एईपी के कार्यान्वयन की स्थिति और आवश्यक हस्तक्षेपों पर चर्चा करने के लिए। |
| 01.01.2020 चिक्काबल्लपुरा में अध्यक्षता डिप्टी कमिश्नर चिक्काबल्लापुरा ने की | एपीडा और बागबानी विभाग | गुलाबी प्याज के लिए कलस्टर सुविध सेल के निर्माण के लिए बैठक |
| अतिरिक्त मुख्य सचिव और विकास अयुक्त की अध्यक्षता में बैंगलोर में 21.01.2020 को | अतिरिक्त प्रमुख सचिव एवं विकास आयुक्त | कृषि व्यापार, खादय प्रसंस्करण और कृषि निर्यात विकास और राज्य कार्य योजना में पशुपालन, शहद और डेयरी उत्पादों को शामिल करने के लिए राज्य उच्च स्तरीय समीति की बैठक |
| 01.02.2020 को चल्लाकेरे में | एपीडा और बागबानी विभाग | अनार के लिए क्लस्टर दौरा का दूसरा आयोजन चल्लकेर, चित्रदुर्ग में आयोजित किया गया था। बागबानी विभाग अधिकारियो, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, हिरियूर के वैज्ञानिकों और एफपीओ और निर्यातकों ने खेत की यात्रा की। |

### 16.3.3.2 तमिलनाडु–एईपी गतिविधियां

| बैठक की तिथि/स्थान | जिसके द्वारा आयोजित की गई | विषय |
|---|---|---|
| 15.05.2019 को चेन्नई में | कृषि विपणन और व्यापार विभाग | भारत सरकार द्वारा घोषित कृषि निर्यात नीति के प्रभावी और शीघ्र कार्यान्वयन के लिए तमिलनाडु कृषि निर्यात नीति का मसौदा तैयार करना। |
| 04.10.2019 को चेन्नई में जिसकी अध्यक्षता सीईओ, टीएनएसएएमबी ने की | तमिलनाडु राज्य कृषि विपणन बोर्ड | तमिलनाडु में एईपी के कार्यान्वयन पर चर्चा |
| 23–25.10.2019 थेनी में | कृषि विपणन विभाग और एपीडा | एपीडा, एनपीपीओ, टीएनएयू–एचसी एंड आरएल, पेरियाकुलम, केवीके, डीएवाई–एनआरएलएम, नाबार्ड, उद्यानिकी विभाग, कृषि विपणन विभाग, एफपीओ और निर्यातकों के सदस्यों ने बैठक में भाग लिया और केले के लिए एईपी के तहत क्लस्टर सुविधा सेल के गठन के लिए क्षेत्र का दौरा किया। जिला कलेक्टर ने अध्यक्षता की और एक क्लस्टर स्तरीय समिति का गठन किया गया था। |

### 16.3.3.3 केरल–एईपी गतिविधियां

| दिनांक/बैठक का स्थान | जिसके द्वारा आयोजन किया गया | विषय |
|---|---|---|
| 25.05.2019 को कृषि उत्पाद आयुक्त की अध्यक्षता में त्रिवेंद्रम में | वीएफपीसीके एजेंसी | केरल के लिए कृषि निर्यात नीति के लिए प्रस्ताव की चर्चा करना और अंतिम रूप देना |
| 17.02.2020 को त्रिवेंद्रम में | एपीडा | कृषि निर्यात नीति को अंतिम रूप देने के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त के साथ बैठक |

16.3.3.5 पांडिचेरी–एईपी गतिविधियां

| बैठक का स्थान/दिनांक | जिसके द्वारा आयोजन किया गया | विषय |
|---|---|---|
| 24.07.2019 के पंडुचेरी में | विकास आयुक्त एवं सचिव (कृषि) | ■ कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक नोडल विभाग/एजेंसी की पहचान।<br>■ यूटी निर्यात नीति में कृषि निर्यात का समावेश।<br>■ कृषि निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए बुनियादी संरचना और रसद।<br>■ निर्यात में सहायता करने के लिए संघ स्तर, संघ राज्य क्षेत्र और क्लस्टर स्तर पर संस्थागत तंत्र।<br>■ प्रबंध निदेशक, पीआईपीडीआईडी लिमिटेड को एपीडा के साथ जोड़ने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया था। |

## 16.4 क्षेत्रीय कार्यालय – कोलकाता

### 16.4.1 निर्यात संवर्धन पहल – पश्चिमी बंगाल में बागडोगरा हवाई अड्डे पर एपीडा वित्त पोषित सीपीसी का संचालन

पश्चिमी बंगाल राज्य में एपीडा द्वारा वित्त पोषित आम अवसंरचना परियोजनाओं के कामकाज की देखरेख करने वाली नोडल एजेंसियों के साथ सख्ती से पालन करने के परिणामस्वरूप, बागडोगरा में सीपीसी जो लंबे समय से बेकार पड़ी हैं, को एआईआईसीएलएएस द्वारा एसजेडीए से लिया जा सकता है ताकि इसे कार्यात्मक बनाया जा सके। श्री फिरहाद हकीम, माननीय एमआईसी, शहरी विकास और नगरपालिका मामलों के विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार की उपस्थिति में 12 जुलाई, 2019 को कोलकाता में दोनों पक्षों के बीच औपचारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सीपीसी–बागडोगरा के शुरुआती कामकाज से निश्चित रूप से उत्तर पूर्व और उत्तर बंगाल के निर्यातकों को विदेशी बाजारों में कई संभावित उत्पादों के निर्यात में मदद मिलेगी।

### 16.4.2 निरीक्षण और फील्ड का दौरा

वर्ष के दौरान, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता द्वारा 12 निरीक्षण और फील्ड का दौरा किया गया। किए गए। इसमें प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की दौरा, एपीडा द्वारा वित्त पोषित सामान्य अवसंरचना सुविधाएं, राज्य सरकार के स्वामित्व वाली सामान्य अवसंरचना सुविधाओं और कृषक बजारों, एपीडा से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन की गई इकाइयों का निरीक्षण, मांस प्रसंस्करण प्लांट का निरीक्षण आदि शामिल है।

**16.4.3** बीएसएम/आरबीएसएम/प्रशिक्षण कार्यक्रम /कार्यशाला /हितधारक बैठक/संवेदीकरण कार्यक्रम

**16.4.3.1** **लखनऊ, यूपी में आम पर आरबीएसएम–** आरओ कोलकाता ने 26–27 जून, 2019 को लखनऊ में आम पर आरबीएसएम के दौरान पूर्वी क्षेत्र से 10 निर्यातकों की भागीदारी जुटाई।

**16.4.3.2** उत्तर प्रदेश के आम के कोलकाता में क्रेता–विक्रेता बैठक क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता ने यूपी सरकार द्वारा एचओएफईडी द्वारा होटल जेमसन इन्न, कोलकाता में आयोजित बीएसएम में भाग लिया। यूपी सरकार के अनुरोध पर क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता ने ताजा फलों और सब्जियों के 08 निर्यातकों को बीएसएम में भागीदारी के लिए लामबंद किया।

**16.4.3.3** **रांची में एपीडा कार्यशाला–** 7 अगस्त, 2019 को क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता द्वारा उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार के सहयोग से झारखंड के होटल हॉलिडे होम, रांची में 'झारखंड से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात को बढ़ावा देने' पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। आयोजन में 80 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

**16.4.3.4** **शेयरधारक बैठक–** 30 अगस्त, 2019 को क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता ने होटल गोल्डन ट्यूलिप, साल्ट लेक, कोलकाता में शेयरधारक बैठक मीट का आयोजन 'कोलकाता से पान के पत्तों एवं ताजा फलों एवं सब्जियों के निर्यात' के विषय पर किया। एपीडा से पंजीकृत एफएफवी निर्यातकों, एफपीओ/एफपीसी, एनपीपीओ और राज्य सरकार के अन्य अधिकारी आयोजन में उपस्थित थे।

**16.4.3.5** **प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना पर कार्यशाला–** 14 सितंबर, 2019 को, भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स, कोलकाता ने रबींद्र भवन, बांकुरा, पश्चिम बंगाल में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें आरओ कोलकाता ने भाग लिया और कृषि उत्पाद निर्यात विकास और वित्तीय योजनाओं में एपीडा की भूमिका पर एक प्रस्तुति दी।

**16.4.3.6** **किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम–** 20 सितंबर, 2019 को कृषि विभाग, पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल के पूर्बा बर्दवान में आलू निर्यात क्षेत्र के तहत एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अच्छी संख्या में आलू उत्पादक और सीपीआरआई व बीसीकेवी के विशेषज्ञ मौजूद थे। क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता ने भाग लिया और कृषि उत्पादों के निर्यात विकास और यह वित्तीय सहायता योजनाओं में एपीडा की भूमिका पर एक प्रस्तुति दी।

**16.4.3.7** **क्लस्टर विकास कार्यशाला–** 17.10.2019 को एपीडा के सहयोग से क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता ने जिला परिषद कॉन्फ्रेंस हॉल, फूलबानी, जिला कंधमाल, ओडिसा में **'एईपी के अंतर्गत जैविक क्लस्टर विकास कार्यशाला'** का आयोजन किया है। डीएम कंधमाल ने कार्यशाला का उद्घाटन किया।

**16.4.3.8** कोलकाता के सॉल्ट लेक, होटल स्टैडल में 16.11.2019 को डीआईसीसीआई और एमओएफपीआई द्वारा संयुक्त रूप से **"एससी/एसटी उद्यमियों के लिए अवसर'** पर आयोजित सम्मलन में क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता ने भाग लिया और कृषि उत्पादों के निर्यात विकास में एपीडा की भूमिका और इसकी वित्तीय सहायता योजनाओं पर एक प्रस्तुति दी।

**16.4.3.9** क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता द्वारा 29.11.2019 को हाटल द सोनेट, साल्ट लेक, कोलकाता में निर्यातकों और अन्य हितधारकों के साथ **कृषि निर्यात नीति के अंतर्गत एक दिवसीय कलस्टर विकास कार्यक्रम–सह–कार्यशाला का आयोजन किया गया।**

**16.4.3.10** आरओ, कोलकाता द्वारा 31.01.2020 को पोर्ट ब्लेयर में उद्योग निदेशालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन के सहयोग से एक **जागरूकता कार्यक्रम** आयोजित किया गया था। यह अंडमान और नोबोबार द्वीप समूह में इस तरह का पहला कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य यूटी में एईपी के शीघ्र कार्यान्वयन करना था। इस कार्यक्रम में श्री यू के वत्स, महाप्रबंधक, एपीडा और आरओ कोलकाता ने इसमें भाग लिया।

### 16.4.4 कृषि निर्यात नीति 2018 – राज्य विशिष्ट रिपोर्ट

क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता कार्यालय ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित पूर्वी क्षेत्रीय राज्यों में एईपी के कार्यान्वयन के लिए पहल की है –

**16.4.4.1** झारखंड, कोलकाता, बिहार, ओडिसा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए राज्य विशिष्ट एईपी रिपोर्ट और अस्थायी कार्य योजना तैयार की और उसी को अंतिम रूप देने के अनुरोध के साथ संबंधित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के विभागों को भेज दिया।

**16.4.4.2** सभी पूर्वी क्षेत्र राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक और संबंधित विभागों के साथ बैठकों का आयोजन किया गया है।

**16.4.4.3** चार राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश में से, दो राज्यों ओडिसा और बिहार ने पहले ही राज्य नोडल एजेंसी/ अधिकारी को एईपी मुद्दों की निगरानी के लिए अधिसूचित किया है। हालाँकि, एईपी रिपोर्ट के मसौदे को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

**16.4.4.4** अधिकतम परिणाम सुनिश्चित करने के लिए पहचान किए गए क्लस्टर जिलों में क्लस्टर विकास कार्यक्रम और कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।

## 16.5 क्षेत्रीय कार्यालय – मुंबई

### 16.5.1 ताजा उष्णकटिबंधीय फलों के लिए बीएसएम

क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई ने ताजे उष्णकटिबंधीय फलों जैसे आम, अनार, अनानास, केला, कटहल और भारत से प्रसंस्कृत फल उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तीसरी क्रेता–विक्रेता बैठक का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 29 से 30 मई, 2019 को मुंबई के होटल लीला में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम को एफआईसीसीआई ने आयोजित किया था और इस कार्यक्रम में विभिन्न देशों के 30 आयातकों (लगभग) ने भाग लिया था।

### 16.5.2 एईपी बैठकें/संगोष्ठी/कार्यशाला/जागरूकता कार्यक्रम/ ऑर्गेनिक ऑडिट/क्षमता निर्माण /प्रशिक्षण कार्यक्रम

**16.5.2.1** कृषि निर्यात नीति (एईपी) के कार्यान्वयन के लिए बैठकें

- श्री अनुप कुमार, प्रमुख सचिव (विपणन), महाराष्ट्र सरकार के साथ 14 मई, 2019 को एईपी बैठक आयोजित की गई नोडल एजेंसी एमएसएएमबी ने महाराष्ट्र में एईपी के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना प्रस्तुत की।
- क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, 9 जुलाई, 2019 को गोवा के पंजिम में कृषि निर्यात नीति के कार्यान्वयन की बैठक में शामिल हुआ। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया कि वह राज्य में एईपी के कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करे। बैठक में निदेशक कृषि, नाबार्ड और अन्य हितधारकों ने भाग लिया।
- देश में कृषि निर्यात नीति के कार्यान्वयन के लिए मुंबई में 9 अगस्त, 2019 को डीओसी की ओर से नाबार्ड द्वारा एक उच्च स्तरीय हितधारकों की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य सचिव, भारत सरकार और 26 राज्यों के सचिवों/प्रधान सचिवों और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों इसमें भाग लिया। एपीडा के अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस बैठक में भाग लिया।
- मध्य प्रदेश में कृषि निर्यात नीति के कार्यान्वयन के लिए एक बैठक क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई द्वारा 6 सितंबर, 2019 को भोपाल में एमडी, मंडी बोर्ड की अध्यक्षता में आयोजित की। राज्य के अधिकारियों और अन्य हितधारकों ने बैठक में भाग लिया।
- क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई ने द ग्रांड बॉलरूम, रायपुर, छत्तीसगढ़ में 20 से 22 सितंबर, 2019 को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं क्रेता–विक्रेता बैठक आयोजित की। सम्मेलन का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया। रवींद्र चौबे, माननीय कृषि मंत्री और श्री गुरु रुद्र कुमार, ग्रामोदय मंत्री, छत्तीसगढ़ सरकार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और हितधारकों ने इस आयोजन में भाग लिया।
- उज्जैन, मध्य प्रदेश में कृषि निर्यात नीति के तहत संतरे क्लस्टर विकास पर एक कार्यशाला का आयोजन 11 अक्टूबर, 2019 को क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम में राज्य कृषि विभाग, केवीके, एफपीओ और लगभग 125 किसानों ने भाग लिया था।

- नागपुर जिला कॉलेक्टर, श्री रविंद्र ठाकरे की अध्यक्षता में 29 अक्टुबर 2019 को क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई द्वारा संतरा कलस्टर के विकास के लिए हितधारकों की एक बैठक आयोजित की गई। प्रत्येक संतरा तालुका के राज्य कृषि विभाग के अधिकारियों, पूर्वोत्तर क्षेत्र संतरे निदेशक, महाऑरेंज, प्रतिगतिशील किसनों, एनआरएलएम, महाराष्ट्र सहकारी विकास निगम, वनमती, डॉ. पंचभाई डीन, कृषि महाविद्यालय, नागपुर, ईवीए निर्यातकों, मैत्रेय निर्यातक अदि ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। 30 अक्टुबर 2019 को क्षेत्र भ्रमण और पैकहाउस विजिट का अयोजन किया गया।
- अंगूर और किशमिश के क्लस्टर विकास के लिए एक हितधारकों की बैठक 7 नवंबर, 2019 को सांगली के कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अभिजीत चौधरी की अध्यक्षता में सांगली में जिला कलेक्टर कार्यालय में क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई द्वारा आयोजित की गई, जिसमें एईपी पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई। जिला कलेक्टर से अनुरोध किया गया कि क्लस्टर से अंगूर और किशमिश के निर्यात के लिए एक रोड मैप तैयार करने के लिए एक क्लस्टर स्तर की समिति बनाई जाए। श्री मणिक त्रियाम्बके, उपनिदेशक बागबानी, डॉ. ए के शर्मा, अंगूरों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रमुख वैज्ञानिक, श्री एसएस चुले, डीजीएम, एमएसएएमबी, कोल्हापुर, श्री सतीश वराड़े, प्रबंधक, एमएसएएमबी, श्री आर ए पाटिल, सचिव, एपीएमसी, सांगली, श्री सुरेश मगदुम, उप निदेशक कृषि, सांगली, निदेशक, एटीएमए, श्री नितिन कोलेकर, महाप्रबंधक केवीके से, डीआईसी, सांगली, डॉ. डीएस पाटिल, और केवीके सांगली से डॉ. ए.ए शैख आदि ने इस बैठक में भाग लिया। किशमिश प्रक्रिया सुविधाओं और अंगूर के बागों में 8 नवम्बर 2019 को फील्ड दौरा आयोजित किया गया और एफपीओ/किसानों के साथ परस्पर संवाद किया।
- क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई द्वारा सुश्री निशा मीणा, आईएएस और सीईओ पंचायती मामले, की अध्यक्षता में, एईपी के कार्यान्वयन और इंदौर में प्याज क्लस्टर के गठन के लिए 2 दिसंबर, 2019 को एक बैठक आयोजित की गई थी। बागवानी विभाग और अन्य हितधारकों के अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।
- जिला प्रशासन, वानमति और कृषि विभाग के सहयोग से आरओ मुंबई ने नागपुर संतरों के निर्यात संवर्धन के लिए 5 दिसंबर 2019 को कृषि निर्यात नीति के अंतर्गत संतरा क्लस्टर के लिए एक क्रेता–विक्रेता बैठक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम क्लस्टर समिति के गठन के बाद उठाया गया पहला कदम था।
- क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई ने 19 दिसंबर, 2019 को सांगली में जिला प्रशासन सांगली और महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पुणे के सहयोग से अंगूर और किशमिश पर क्लस्टर स्तर पर एक दिवसीय क्रेता–विक्रेता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

- क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई द्वारा 22 जनवरी, 2020 को जिला कलेक्टर सूरत, डॉ. धवल कुमार पटेल, आईएएस, की अध्यक्षता में हितधारकों की म बैठक का आयोजन किया गया, ताकि गुजरात में सूरत, भरूच और नर्मदा जिला से केले के क्लस्टर विकास के लिए एक रोड प्लान और रोड मैप तैयार किया जा सके। बैठक में उप कृषि अधिकारी, जिला बागवानी अधिकारी, उप निदेशक, पीपीक्यू, सहायक निदेशक, जीएआईडीसी, केवीके के अधिकारी, सूरत के चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि और कामरेज केला सहकारी समीति के प्रतिनिधि शामिल हुए।
- कृषि निर्यात नीति के अंतर्गत केले के क्लस्टर पर एक बैठक डीएसएओ कार्यालय कोल्हापुर में श्री डी.डी. वकुरे की अध्यक्षता में 23 जनवरी 2020 को डीएसएओ में आयोजित की गई थी। राज्य के कृषि कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों, एफपीओ, किसान और निर्यातकों ने बैठक में भाग लिया। बैठक के बाद, मैसर्स रॉकवुड के पैकहाउस के दौरे का आयोजन किया गया, जो मध्य पूर्व के देशों में केले और सब्जियों का निर्यात करते हैं।
- क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई ने 23 जनवरी, 2020 को सुश्री शुभ्रा, एटीएस के व्यापार सलाहकार, कृषि मंत्रालय गुजरात, की केले के कलस्टर में पैक हाउस की यात्रा आयोजित की। उनके साथ सचिव एपीडा और उपमहाप्रबंधक (आरआर), मुंबई थे।
- कृषि निर्यात नीति के अंतर्गत केले के कलस्टर पर एक बैठक जिला कलेक्टर कार्यालय सोलापुर में जिला कलेक्टर, श्री मिलिंद शंभरकर, आईएएस, की अध्यक्षता में 24 जनवरी, 2020 आयोजित की गई थी। हितधारकों अर्थात् राज्य कृषि कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों, एफपीओ, किसानों और निर्यातकों ने बैठक में भाग लिया।
- 27 जनवरी, 2020 को डॉ अविनाश धकाने आईएएस–जिला कॉलेक्टर की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर कार्यालय जलगांव में कृषि निर्यात नीति के अंतर्गत केले के क्लस्टर पर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद किसानों से बातचीत के लिए नांद्रा, जिला जलगांव के केले के खेतों के लिए एक यात्रा का आयोजन किया गया था।

### 16.5.2.2 अन्य बैठकें/कार्यशालाएँ

- 10 मई, 2019 को क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई में प्रगतिशील किसानों/प्रोसेसरों, किशमिश के निर्यातकों के साथ सचिव, एपीडा की अध्यक्षता में हितधारकों की एक बैठक का आयोजन किया गया।
- क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई ने 17 अगस्त 2019 को संगोला जिला सोलापुर में अनार के निर्यात की क्षमता पर एक कार्यशाला आयोजित की।

- 9 सितम्बर  को एमएसएएमबी, आईएफसी फैस्लीटी बिल्डिंग, वाशी, नवी मुम्बई महाराष्ट्र में एपीडा और येस बैंक द्वारा 2022 तक 100 बिलियन यूएस डॉलर मिशन के लिए निर्यातक हितधारक परामर्श सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रमुख निर्यातकों, राज्य सरकार के अधिकारियों और अन्य हितधारकों ने बैठक में भाग लिया।
- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र विशिष्ट रसद (लॉजिस्टिक्स) से संबंधित मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली के भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के व्यापार सुविधा और रसद केन्द्र (सीटीएफएल) के प्रोफेसर डॉ. नितिन सेठ के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रमुख निर्यातकों, राज्य सरकार के अधिकारियों और अन्य हितधारकों ने बैठक में भाग लिया।
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड (आईआईएफटी) के साथ हितधारकों की बैठक 3 दिसंबर, 2019 को वाशी, मुंबई में आयोजित की गई थी, ताकि बुनियादी ढांचे, गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों और बाजार–विकास आदि में अंतराल को संबोधित करने के लिए सहायता की आवश्यकताओं का आकलन किया जा सके, और विभिन्न योजना घटकों और विशेष रूप से वर्तमान प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता और विपणन आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए सहायता के पैटर्न और/या परिवर्धन/विलोपन का सुझाव दिया जा सके।
- आगामी सत्र 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका को आमों के निर्यात के हितधारकों के साथ यूएसडीए एपीएचआईएस अधिकारियों नई दिल्ली की एक संवादात्मक बैठक 16 जनवरी, 2020 को आरओ मुंबई में आयोजित की गई थी।
- क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई ने नाबार्ड और एपीडा के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने और क्लस्टर विकास और कृषि निर्यात नीति के कार्यान्वयन में नाबार्ड के शामिल होने के बारे में चर्चा करने के लिए 24 जनवरी, 2020 को मुंबई में अपने मुख्य कार्यालय में नाबार्ड के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की। बैठक में एपीडा और नाबार्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।
- क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई ने 11 फरवरी, 2020 को एपीडा, मुंबई में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया को आम सहित ताजे फलों और सब्जियों के निर्यात पर चर्चा करने के लिए एक हितधारक बैठक का आयोजन किया।
- क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई ने भारत के नासिक, पुणे और फलटन में 13 –15 फरवरी, 2020 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के विशेष सचिव, श्री राजेश वर्मा, आईएएस दौरे का आयोजन किया। विशेष सचिव ने मैसर्स सुला वाइन, मेसर्स सहाद्रि एफपीओ, यूरो फ्रूट की इकाईयों, प्याज मार्केट और लासलगांव में बीएआरसी विकिरण इकाई, एनएचआरडीएफ, प्याज और लहसुन अनुसंधान स्टेशन, नासिक और पुणे में आईएनआई खेतों का दौरा किया। दौरे के दौरान विशेष सचिव के साथ उप महाप्रबंधक (आरआर) मौजूद थे।

- मैसर्स एसडीएफ प्रोडक्शंस प्रा. लिमिटेड ने वारूद तालुका के किसानों से सीधे संतरे खरीदे। नागपुर संतरे की पहली खेप को वीएचटी सुविधा से 13 फरवरी, 2020 को दुबई के लिए रवाना किया गया। दुबई के खरीदार एपीडा, एमएसएएमबी और एफएफवी निर्यातकों जैसे हितधारक मौजूद रहे। बाजार रिपोर्ट के अनुसार खेप अच्छी स्थिति में पहुंच गई है और बाजार से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है।

### 16.5.1 प्रतिनिधि मण्डल

**आरओ, मुम्बई ने निम्निलिखित प्रतिनिधि मण्डलों के दौरे का सह समन्वय किया:–**

- 29 फरवरी से 6 मार्च 2020 तक भैंस के मांस के लिए फिलीपींस प्रतिनिधिमंडल
- 28 से 30 जुलाई, 2019 के दौरान भैंस के मांस के लिए मलेशिया प्रतिनिधिमंडल।
- आम प्रोसेसिंग सुविधा और आम के बगीचों के लिए 09 जून से 12 जून, 2017 के दौरान यूएसडीए प्रतिनिधिमंडल।
- फुल्टन काउंटी प्रतिनिधिमंडल – श्री रॉब पिट्स 08/10/19 को।
- जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा 8 से 13 अप्रैल 2019 के दौरान प्रतिनिधिमंडल।

### 16.5.4 वर्ष के दौरान उपलब्धियां

**समुद्र के द्वारा यूके तक आम का सफल शिपमेंट**

- मेसर्स बॉम्बे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड मुंबई द्वारा केसर आम का पहला कंटेनर सफलतापूर्वक लंदन यूके को निर्यात किया गया। इसने यूके बाजार में प्रति दर्जन 8 पाउंड की कीमत प्राप्त की। कंटेनर को 21.05.2019 को रवाना किया गया था?
- संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए लंबी दूरी के आम शिपमेंट के लिए स्थैतिक परीक्षण आईएफसी वाशी में बीएआरसी वैज्ञानिकों के तकनीकी मार्गदर्शन में एपीडा, एमएसएएमबी, एमएईआरएसके, और वीएएफए के सहयोग से आयोजित किया गया था।
- कृषि निर्यात नीति के अंतर्गत नागपुर जिले को 'नागपुर संतरे' के क्लस्टर विकास के लिए चुना गया है। क्लस्टर विकास के लिए एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया था। समिति ने बैठकों की श्रृंखला आयोजित की और क्रेता–विक्रेता सम्मेलन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इसके परिणामस्वरूप 2019–20 के दौरान मैसर्स फेयर एक्सपेर्ट्स, लु लु ग्रुप ऑफ दुबई, की एक सहायक कम्पनी, मैसर्स मित्रे जो एक किसान उत्पाद कम्पनी है, मैसर्स ईवा एक्सपोर्ट्स द्वारा मध्य पूर्व बाजार में 100 मीट्रिक टन से अधिक संतरों का निर्यात किया गया।

## 17. कृषि निर्यात नीति का कार्यान्वयन

कृषि निर्यात नीति को भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में कृषि निर्यात उन्मुख उत्पादन, निर्यात संवर्धन, बेहतर किसान प्राप्ति और समकालिकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए तैयार किया गया था। दिसंबर, 2018 में एईपी की घोषणा के बाद से, वाणिज्य विभाग, नोडल विभाग के रूप में और निष्पादन स्तर पर एपीडा विभाग विभिन्न राज्यों की नोडल एजेंसियों, लाइन मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों और उत्पादन, गुणवत्ता में सुधार नियंत्रण, अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स, नीतियों का सरलीकरण, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में उभर रही सैनिटरी और फाइटो–सैनिटरी चुनौतियों से निपटने के लिए एजेंसियों के साथ नियमित रूप से परामर्श बैठकें कर रहा है।

राज्य नोडल एजेंसियों के साथ दो ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम एपीडा द्वारा 3 सितंबर, 2019 और 6 फरवरी, 2020 को आयोजित किए गए थे, ताकि राज्यों को राज्य और क्लस्टर स्तर पर संस्थागत तंत्र को कार्यान्वयन करने के लिए एकत्रित जा सके, निगरानी ढांचे को स्थापित करने और कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए समितियों का गठन किया जा सके। राज्यों की अधिक भागीदारी के साथ, विशिष्ट उत्पादों के निर्यात उन्मुख उत्पादन के लिए संभावित क्लस्टर विकसित करने और मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए अधिक से अधिक जोर देने भारत के उत्पादन के संवर्धन और ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान केंद्रित है।

संस्थागत संरचना अर्थात राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन अधिकतर राज्यों में किया गया है। एईपी के अंतर्गत अधिसूचित क्लस्टर में क्लस्टर विकास के लिए रोडमैप तैयार किया जा रहा है। लगभग सभी राज्यों ने नोडल एजेंसियों और उनके नोडल अधिकारियों को नामित किया है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, नागालैंड, तमिलनाडु, असम, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ने राज्य कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया है और अन्य राज्य अपने राज्य निर्यात कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए परामर्श के विभिन्न चरणों में हैं।

क्लस्टर विकास के लिए, एपीडा नोडल अधिकारियों द्वारा सत्ताईस क्लस्टरों का दौरा किया गया हैं और डीसी/डीएम, जिला बागवानी/कृषि अधिकारियों, किसानों, एफपीओ, निर्यातकों आदि के साथ बैठकें की गईं और प्रथाओं के बेहतर पैकेज के लिए हस्तक्षेपों की पहचान की गई, भंडारण, छँटाई, पैकेजिंग, प्रमाणन, परिवहन, कोल्ड चेन अवसंरचना आदि में अंतराल का पता लगाने के लिए। पंजाब, यूपी (दो अलग जिले) में आलू के 14 क्लस्टर जिलों में क्लस्टर स्तर की समितियाँ बनाई गई हैं, राजस्थान में ईसबगोल, महाराष्ट्र में संतरा, अनार, अंगूर, तमिलनाडु में केला, यूपी में आम, गुजरात में डेयरी उत्पाद, यूपी, कर्नाटक में गुलाबी प्याज, यूपी में ताजी सब्जियां और मध्य प्रदेश में संतरे के लिए समीतियां बनाई गई हैं।

राज्यों को बाजार सहायता प्रदान करने के लिए, राज्य नोडल एजेंसी के सहयोग से अधिसूचित/पहचाने गए 11 राज्यों के चौदह बीएसएम एवं कार्यशाला (निर्यातक और एफपीओ के बीच) का आयोजन किया गया है। क्लस्टर जिलों में क्लस्टर विकास कार्यक्रमों और क्रेता विक्रेता बैठकों के परिणामस्वरूप, वाराणसी कलस्टर में कॉनकोर पेरिशेबल कार्गो फैसिलिटी, रजताब में खरीद और छटाई, गेड निर्धारण, उत्पाद की पैकिंग के बाद, 20 दिसम्बर 2019 को दुबई को 14 एमटी ताजा सब्जियां (हरी मिर्च), पहली परीक्षण समुद्री शिपमेंट के द्वारा निर्यात की गई। इसी प्रकार, नागपुर संतरे के 15 मीट्रिक टन के पहले कंटेनर को 13 फरवरी, 2020 को वाशी के वीएचटी पैकहाउस से प्रोसेस करने के बाद दुबई के लिए रवाना किया गया। नागपुर कलस्टर से मंदारिन यूएई के प्रमुख सुपरमार्केट यानी लूलूसुपर मार्ट, सफारी मॉल, नेस्टों की शेल्फ में पहुंचे।

डीसी, थेनी की अध्यक्षता में क्लस्टर स्तर की समिति के गठन के बाद, कैवेंडिश केले के 20 रीफर कंटेनरों के समुद्री शिपमेंट को तमिलनाडु के थेनी क्लस्टर के कुंबुम क्षेत्र से 25 फरवरी, 2020 को तूतीकोरिन बंदरगाह के माध्यम से मालदीव भेजा गया था। क्लस्टर क्षेत्र से निर्यात में एक प्रमुख मील के पत्थर के रूप में, अनंतपुर (आंध्र प्रदेश) क्लस्टर जिले से 9790 एमटी केला मध्य पूर्व में निर्यात के लिए जेएनपीटी को 11 अलग–अलग रेफर रेल मार्गो के माध्यम से भेजा गया था, जिससे 600 हेक्टेयर खेतों और लगभग 15,000 किसानों और क्षेत्र में कई एफपीओ को लाभ हुआ था।

एपीडा में एक मार्केट इंटेलिजेंस सेल का गठन किया गया है और विस्तृत बाजार विश्लेषण सहित ई–मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट के प्रसार की गतिविधि शुरू हुई है। अब तक 27 रिपोर्टें निम्नलिखित उत्पादों के लिए तैयार की गई हैं आम, बासमती चावल, गैर बासमती चावल, मूंगफली, अंगूर, घृतकुमारी, निर्जलित प्याज, अनार, केला, आलू, भैंस का मांस, सूअर का मांस, ताजे फूल, शराब, अंडा, डेयरी उत्पाद (एसएमपी और पनीर), बिस्कुट, गुड़, बाजरा, फल और सब्जी के बीज, मोरिंगा, फॉक्स नट, फलों का रस, आम का गूदा, आलू के गुच्छे और तैयार अनाज। वियतनाम, अमेरिका, बांग्लादेश, नेपाल, यूएई, ईरान, सऊदी अरब, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, चीन, जापान और अर्जेंटीना में हाल ही में बनाए गए एग्री–सेल ने भारतीय दूतावासों से संपर्क किया गया, ताकि वास्तविक समय के आधार पर इनपुट के लिए अनुरोध किया जा सके ताकि मौजूदा मार्केट इंटेलिजेंस सेल को और मजबूत बनाया जा सके।

पिछले साल एनसीडीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (एएससीआई) और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई), आईआईटी, दिल्ली और आईसीएफए के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे ताकि गतिविधियों को समन्वयित करने के लिए एक साथ काम करके हितधारकों के लिए बेहतर मूल्य लाने के लिए उनकी

विशेषज्ञता का उपयोग किया जा सके। इसके बाद ट्राइफेड और एसएफएसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

एफपीओ, सहकारी समीतियों को मंच प्रदान करने के लिए एपीडा की वेबसाइट पर एक किसान कनेक्ट पोर्टल स्थापित किया गया है ताकि निर्यातकों के साथ संवाद की जा सके और बिचौलियों की श्रृंखला को खत्म किया जा सके। अब तक पोर्टल में 2718 एफपीओ/एफपीसी पंजीकृत किए जा चुके हैं।

कोविड–19 महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान कृषि/बागवानी हितधारकों के सामने आए मुद्दों को समाधान और एईपी के कार्यान्वयन की स्थिति जानने के लिए राज्य नोडल एजेंसियों अपने उनके राज्यों में हेल्प डेस्क/कंट्रोल रूम के गठन के लिए आग्रह किया गया। परिणामस्वरूप, 18 राज्यों और 1 यूटी ने लॉक डाउन के दौरान कृषि निर्यातकों की मदद के लिए ऐसी सुविधाएं बनाईं।

एईपी के कार्यान्वयन के लिए डीओसी द्वारा केंद्रीय क्षेत्र योजना के लिए दिशानिर्देशों को मंजूरी दी गई। राज्यों के समर्थन और सहयोग के साथ, भारत आवश्यक निर्यात पथ प्राप्त कर सकता है जिससे एईपी के लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है।

एपीडा
APEDA

## कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

पता: तीसरी मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग, 3, सीरी सांस्थानिक क्षेत्र
अगस्त क्रांति मार्ग, (खेल गांव के सामने), नई दिल्ली-110016
दूरभाष: 91-11-26513204, 26513219, 26514572, 26526196 • फैक्स: 91-11-26526187
ई-मेल: headq@apeda.gov.in • वेबसाइट: www.apeda.gov.in

Printed at : Creative Offset Press # 9136434848